

परिशिष्ट 1.1
(प्रस्तर 1.1 एवं 1.15 में सन्दर्भित)

अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये वित्तीय विवरणों/लेखों के अनुसार सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्यचालन परिणाम की सारांकित स्थिति को दर्शाती हुई विवरणी
(स्तम्भ (5) से (12) के आँकड़े ₹ करोड़ में है)

क्रम सं०	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	वर्ष की समाप्ति पर बकाया ऋण	संचित लाभ(+)/ हानि(-)	टर्नओवर	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)	लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव	नियोजित पूँजी@	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत	मानवशक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अ. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सम्बद्ध													
1	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	25.00	2.48	-0.85	0.13	-0.19	-	1.88	-0.19	-10.11	9
2	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.64	0.00	0.00	0.00	-0.12	-	1.32	-0.12	-9.09	7
3	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2011-12	2014-15	6.92	0.00	92.66	300.11	11.46	(डीपी) 3.00	116.78	15.62	13.38	357
4	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2008-09	2012-13	1.50	0.00	0.23	1.86	-0.13	(डीएल) 34.27	23.59	-0.13	-0.55	950
5	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2013-14	1.07	0.00	0.55	2.76	0.63	प्रक्रियाधीन	6.25	0.63	10.08	-
6	यू. पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2014-15	6.4	0.00	50.82	507.46	9.86	(डीपी) 3.53	57.22	9.98	17.44	622
7	यू. पी. स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	2014-15	40.00	5.00	-26.35	951.95	20.74	(डीपी) 3.95	40.01	25.77	64.41	648
क्षेत्रवार योग				81.53	7.48	117.06	1764.27	42.25	0.00	247.05	51.56	20.87	2593
वित्त													
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कारपोरेशन आफ यू. पी. लिमिटेड	2012-13	2014-15	135.58	151.42	-350.84	6.18	2.56	-	-107.16	9.57	-8.93	200
9	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2010-11	14.23	7.53	0.12	1.14	0.24	(डीपी) 5.29	20.94	0.69	3.30	85
10	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	8.10	52.83	7.17	2.94	-0.01	(आईएल) 23.75	62.71	2.41	3.84	14
11	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	216.99	59.32	92.71	31.29	12.49	(डीपी) 15.67	322.91	14.40	4.46	297
12	उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11	2014-15	24.07	1.98	210.96	95.66	70.94	(डीपी) 8.03	407.84	70.94	17.40	604
क्षेत्रवार योग				398.97	273.08	-39.88	137.21	86.22	0.00	707.24	98.01	13.86	1200

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अवसंरचना													
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	3.00	-	10.16	96.38	1.76	(आईएल) 0.02	13.16	1.76	13.40	151
14	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2010-11	2012-13	1.00	-	567.58	3680.72	232.49	(डीपी) 26.73	568.59	232.91	40.96	3209
15	यू. पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2013-14	2014-15	0.15	-	62.75	483.85	6.23	-	62.9	6.243	9.93	557
16	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	15.00	-	122.25	973.43	36.39	(आईपी) 0.04	158.08	36.47	23.07	5211
17	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.05	35.00	-	-	-0.88	-	46.04	-0.88	-1.91	33
18	नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	लेखे अस्तित्व नहीं किये गये	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
क्षेत्रवार योग				19.20	35.00	762.74	5234.38	275.99	0.00	848.77	276.51	32.58	9163
विनिर्माण													
19	अल्मोडा मैग्नेसाइट लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	2014-15	2015-16	2.00	-	0.98	28.85	0.31	प्रक्रियाधीन	2.98	0.44	14.77	-
20	श्रीद्वान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	2015-16	7.22	2.63	4.45	12.60	0.27	प्रक्रियाधीन	14.30	0.27	1.89	7
21	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1995-96	1997-98	53.16	9.70	-196.73	97.15	-32.12	-	52.06	-4.06	-7.80	
22	अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2014-15	2015-16	4.07	6.22	-3.22	30.2	1.45	प्रक्रियाधीन	7.07	1.45	20.51	26
23	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	2009-10	2012-13	1.10	0.00	-26.59	0.33	-8.53	-	-14.02	-8.27	58.99	219
24	यू. पी. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	87.66	113.16	3.00	21.69	0.48	-	207.70	0.48	0.23	28

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
25	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2014-15	880.13	-	-793.34	0.00	-1.41	(आईएल) 0.51	90.83	-1.40	-1.54	14
26	उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	2003-04	2011-12	5.96	10.24	-17.06	15.75	-0.36	(डीएल) 6.67	8.96	0.18	2.01	-
27	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1997-98	2014-15	47.07	123.28	-57.33	27.12	-9.50	-	47.56	-8.19	-17.22	211
28	यू. पी. स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	2000-01	2002-03	573.94	1.91	-6.85	3.60	0.26	-	4.81	0.31	6.44	1
29	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	93.24	115.84	-224.66	36.93	-8.46	(आईएल) 5.37	29.47	-8.45	-28.67	890
30	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2010-11	2014-15	1103.71	31.20	-86.47	122.93	-22.79	(आईएल) 0.89	1027.47	-8.82	-0.86	135
31	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2015-16	31.91	60.23	-187.5	0.00	-9.81	(आईएल) 2.83	-14.70	-6.62	45.03	3
क्षेत्रवार योग				2891.17	474.41	-1591.32	397.15	-90.21	0.00	1464.49	-42.68	-2.91	1534
ऊर्जा													
32	दक्षिणोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2015-16	1946.38	1134.33	-19183.16	4843.73	-5521.00	(आईएल) 33.08	3537.27	-3994.07	-112.91	5243
33	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2015-16	163.15	3196.37	-3320.86	1545.24	-674	-	-90.80	-379.66	418.13	1721
34	मध्योचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2015-16	2780.44	1800.56	-11733.15	4495.74	-3262.77	(डीएल) 33.78	3575.40	-2440.12	-68.25	8155
35	पश्चिमोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2015-16	2478.2	9681.51	-10754.43	8926.72	-3171.51	(आईएल) 0.39	3434.15	-2190.59	-63.79	5952
36	पूर्वोचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2015-16	3086.12	1855.68	-15110.38	4960.65	-4094.62	-	2547.86	-2856.51	-112.11	16390
37	सोनभद्र पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2011-12	2015-16	0.07	0.00	-3.68	0.04	-0.71	-	-3.61	-0.71	19.67	-
38	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.16	0.50	0.00	0.00	0.00	-	0.83	0.00	0.00	-

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39	यूपीएसआईडीसी पावर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2012-13	2014-15	0.05	0.00	-0.24	0.00	-0.02	-	-0.19	-0.02	10.53	0
40	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	431.75	149.86	-364.92	84.34	3.52	(डीएल) 15.07	245.13	26.05	10.63	566
41	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	35690.22	50597.26	-34679.69	36521.05	-1489.77	(आईएल) 18.76	55529.32	-1338.84	-2.41	1585
42	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2014-15	5402.51	6999.85	-802.47	1655.87	321.39	(डीपी) 10.72	12703.08	825.81	6.50	5852
43	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	7840.99	11002.37	-118.29	7919.53	218.08	-	18297.04	903.84	4.94	7708
44	जवाहर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	0.05	0.00	-1.23	-	-1.23	-	-1.18	-1.23	104.24	-
45	यमुना पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड (20.04.10 को समाहित)	2010-11	2015-16	0.05	0.00	0.00	0.00	-1.21	प्रक्रियाधीन	0.05	-1.21	-2420.00	
क्षेत्रवार योग				59820.14	86418.29	-96072.49	70952.91	-17673.85	0.00	99774.35	-11447.26	-11.47	53172
सेवा													
46	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13	2015-16	1.00	-	3.53	5.91	0.5	(आईपी) 0.77	4.53	0.50	11.04	81
47	यू. पी. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती यू. पी. निर्यात निगम लिमिटेड)	2006-07	2014-15	7.24	7.44	21.92	7.48	-0.70	-	7.51	-0.70	-9.32	70
48	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2006-07	2014-15	5.00	13.47	19.44	797.27	0.23	(डीपी) 0.2	80.29	4.87	6.07	726
49	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	18.60	1.15	-13.34	31.57	-0.85	(आईएल) 2.39	6.67	-0.83	-12.44	510
क्षेत्रवार योग				31.84	22.06	31.55	842.23	-0.82	0.00	99.00	3.84	3.88	1387
विविध													
50	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	5.19	-	2.07	0.60	0.36	प्रक्रियाधीन	8.52	0.36	4.23	24
51	यू. पी. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	0.43	-	98.5	158.65	17.34	(आईपी) 0.19	98.93	17.34	17.53	140

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
52	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1998-99	2007-08	3.50	-	0.02	0.28	-	(आईएल) 0.002	2.11	-	-	24
53	लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये			-							-	-
54	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.05	-	0.00	0.00	0.00	(आईएल) 0.09	0.40	0.00	-	448
55	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये			6.51								505
56	आगरा-मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये			25.65								816
57	कानपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (28-04-10 को समामेलित)	लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये											
58	वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (15-06-10 को समामेलित)	लेखे अन्तिमीकृत नहीं किये गये											
क्षेत्रवार योग				9.17	32.16	100.59	159.53	17.70	0.00	109.96	17.70	16.09	1957
योग अ (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				63252.02	87262.48	-96691.76	79487.68	-17342.72	0.00	103250.86	-11042.32	-	71006
ब सांविधिक निगम													
कृषि एवं सम्बद्ध													
1	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	2012-13	2014-15	11.17	-	372.48	261.13	80.15	(आईपी) 35.75	386.21	80.15	20.75	1375
क्षेत्रवार योग				11.17	0.00	372.48	261.13	80.15	0.00	386.21	80.15	20.75	1375
वित्त													
2	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2012-13	2015-16	179.28	648.02	-898.38	22.22	17.38	प्रक्रियाधीन	864.41	17.40	2.01	697
क्षेत्रवार योग				179.28	648.02	-898.38	22.22	17.38	0.00	864.41	17.40	2.01	697
अवसंरचना													
3	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2013-14	2014-15	0.00	-	4664.24	732.98	495.11	(डीपी) 267.31	4664.24	495.11	10.62	4025
4	उत्तर प्रदेश जल निगम	2010-11	2012-13	0.00	270.03	-63.52	655.51	20.10	-	9741.13	59.80	0.61	16357
क्षेत्रवार योग				0.00	270.03	4600.72	1388.49	515.21	0.00	14405.37	554.91	3.85	20382

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
सेवा													
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2013-14	2014-15	418.07	292.86	-1319.25	2934.63	-131.54	(आईएल) 10.00	-438.60	-100.99	23.03	27172
6	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	2011-12	2014-15	0.00	9.51	30.11	637.96	22.05	(डीपी) 2.73	45.97	22.88	49.77	889
क्षेत्रवार योग				418.07	302.37	-1289.14	3572.59	-109.49	0.00	-392.63	-78.11	19.89	28061
विविध													
7	उत्तर प्रदेश वन निगम**	2013-14	2014-15	1438.06	15.00	1438.06	406.31	56.76	(डीपी) 1.29	1453.06	56.76	3.91	2371
क्षेत्रवार योग				1438.06	15.00	1438.06	406.31	56.76	0.00	1453.06	56.76	3.91	2371
योग ब (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				2046.58	1235.42	4223.74	5650.74	560.01	0.00	16716.42	631.11	3.78	52886
महायोग (अ+ब)				65298.60	88497.90	-92468.02	85138.42	-16782.71	0.00	119967.28	-10411.21	-8.68	123892
स अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सम्बद्ध													
1	कमाण्ड एरिया पौल्ट्री डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	1994-95	-	0.24	0.00	-	0.96	0.01	-	-	0.01	-	
2	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2002-03 (01-07-03 से यूएल)	2004-05	0.31	1.69	-0.55	0.04	-0.18	-	1.53	-0.14	-	19
3	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	2006-07 (01-07-03 से यूएल)	2008-09	0.71	6.55	-8.01	0.11	-1.05	-	3.31	0.05	1.51	-
4	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2010-11	2014-15	2.73	0.71	-7.59	0.45	0.099	प्रक्रियाधीन	11.19	0.21	1.88	0
5	उत्तर प्रदेश पौल्ट्री एण्ड लाइव स्टॉक स्पेशैलिटीज लिमिटेड	2009-10	2014-15	2.94	1.10	-4.00	0.015	-0.17	(आईएल) 0.31	0.04	-0.01	-25.00	0
6	उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	1994-95	1.90	1.22	-2.55	0.27	-0.67	-	80.72	-0.52	-	330
क्षेत्रवार योग				8.83	11.27	-22.70	1.85	-1.96	0.00	96.79	-0.40	-0.41	349

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
वित्त													
7	अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1997-98	1998-99	1.05	4.15	-0.40	1.29	-0.40	-	5.34	0.14	2.62	-
8	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2012-13	1.46	-	-0.36	0.45	-0.16	प्रक्रियाधीन	1.50	-0.16	-10.67	52
क्षेत्रवार योग				2.51	4.15	-0.76	1.74	-0.56	0.00	6.84	-0.02	-0.29	52
अवसंरचना													
9	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1995-96 (08-02-1999 से यूएल)	1996-97	68.28	124.77	-425.99	113.01	-47.75	-	-239.80	-22.91	-	-
10	उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12	2013-14	59.43	19.74	-77.36	1.76	-0.27	-	-0.09	1.28	-	-
11	विन्ध्याचल अब्रेसिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1987-88 (28-11-2002 से यूएल)	1995-96	-	0.84	-0.11	-	-0.12	-	0.01	-0.11	-	-
क्षेत्रवार योग				127.71	145.35	-503.46	114.77	-48.14	0.00	-239.88	-21.74		0
विनिर्माण													
12	आटो ट्रेक्टर्स लिमिटेड	1991-92 (14-02-2003 से यूएल)	1995-96	7.50	0.38	-	6.31	0.11	-	11.14	0.37	3.32	-
13	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95 (20-02-96 से यूएल)	-	3.76	0.00	-11.95	0.27	-1.66	-	-0.49	0.85	-173.47	-
14	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2012-13	2014-15		0.23	-102.18	0.00	-5.37	-	11.34	-3.62	-31.92	7
15	कान्डीनेटल प्लोट ग्लास लिमिटेड	1997-98 (01-04-2002 से यूएल)	2002-03	46.24	138.85	-	-	-	-	83.87	कम्पनी परिसमापन के अधीन रही (स्थापना के समय से)		-

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
16	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (अधिनियम की धारा 139(5) तथा 139(7) के अधीन कम्पनी)	(14-07-1981 से यूएल)	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2014-15	8.95	0.00	-155.87	0.00	-1.66	-	-8.06	-1.17	14.52	13
18	कानपुर कम्पोजेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	(10-06-1996 से यूएल)	-	-	0.00	-	0.05	-	-	-	-	-	-
19	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2011-12	2014-15	256.80	7.69	-246.88	0.00	-1.69	-	257.23	-1.58	-	80
20	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.22	7.21	-32.93	0.03	-0.60	-	-25.54	-0.50	-	-
21	उत्तर प्रदेश एब्सकाट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1975-76 (19-04-1996 से यूएल)	-	0.05	0.00	-	-	-0.02	-	0.12	-0.01	-	-
22	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (19-02-94 से यूएल)	-	6.58	11.02	-35.32	2.26	-6.18	-	-18.45	-0.51	-	-
23	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2001-02	2005-06	1.93	17.04	-38.75	0.16	-0.29	-	0.35	-0.27	-	259
24	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लान्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1974-75 (11/2003 से यूएल)	1984-85	0.01	0.00	0.01	0.04	-0.01	-	-0.34	-0.01	-	-
25	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1997-98	2007-08	5.38	1.94	-6.04	0.53	2.39	-	3.59	2.51	69.92	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
26	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2014-15	160.79	0.00	-494.82	0.00	-7.63	(आईपी) 0.82	-333.76	-0.82	0.25	0
27	उत्तर प्रदेश टायर एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1992-93 (09-01-1996 से यूएल)	-	1.83	0.00	-9.96	1.38	-2.17	-	-4.06	2.10	-	-
क्षेत्रवार योग				500.04	184.36	-1134.69	11.03	-24.78	0.00	-23.06	-2.66	-	359
सेवा													
28	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2007-08	1.00	0.05	-0.35	3.91	-0.09	-	0.92	-0.09	-	-
29	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1983-84	1992-93	0.55	0.66	-0.11	2.74	-0.11	-	0.99	-0.10	-	-
30	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2011-12	1.00	0.00	-1.52	3.33	-0.39	-	4.63	-0.27	-	-
31	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1988-89	2013-14	1.26	0.92	-1.59	0.25	-0.07	-	0.59	-0.07	-	0
32	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	1981-82	1992-93	0.50	0.86	1.49	1.70	0.01	-	0.61	0.01	1.64	-
33	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	1.00	0.00	-1.50	-	-0.03	-	-0.01	-0.03	-	-
34	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1991-92	2011-12	0.25	0.65	-0.78	0.85	-0.19	-	0.12	-0.08	-	-
35	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1990-91	0.25	1.25	-	0.01	-0.04	-	0.70	-0.04	-	-
36	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2010-11	1.23	0.05	-1.57	0.20	0.25	-	-0.29	0.25	-	0
37	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	2009-10	2011-12	8.18	2.47	-14.80	0.12	-0.38	(आईएल) 0.14	-4.14	0.02	-	0
38	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1994-95	1.15	0.35	-1.08	1.30	-0.14	-	0.19	-0.14	-	-

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
39	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1987-88	1993-94	0.70	0.00	-0.26	1.47	-0.03	-	0.88	-0.03	-	-
क्षेत्रवार योग				17.07	7.26	-22.07	15.88	-1.21	0.00	5.19	-0.57	-10.98	0
योग-स (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				656.16	352.39	-1683.68	145.27	-76.65	0.00	-154.12	-25.39	-	760
महायोग (अ+ब+स)				65954.76	88850.29	-94151.70	85283.68	-16859.36	0.00	119813.16	-10436.60	-	124652

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

नोट 1: उपर्युक्त में क्रम संख्या अ-19, स-1 एव स-16 पर अंकित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(6) तथा 139(7) के अधीन, कम्पनियाँ शामिल हैं।

नोट 2: प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन धनराशि शामिल हैं।

नोट 3: आईएल हानि में वृद्धि को इंगित करता है, डीएल हानि में कमी को इंगित करता है, आईपी लाभ में वृद्धि को इंगित करता है तथा डीपी लाभ में कमी को इंगित करता है।

नोट 4: लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षक एवं सीएजी के लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव शामिल है।

नोट 5: नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ का आगणन लाभ एवं हानि खाते में दर्शाये गये लाभ एवं भारित ब्याज को जोड़कर किया गया है।

नोट 6: वर्ष के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाता है।

नोट 7: यूएल परिसमापनाधीन को दर्शाता है।

@ नियोजित पूँजी, अंशधारक निधि तथा दीर्घावधि ऋणों को इंगित करती है।

* 1999-2000 से 2007-08 की अवधि के लेखों का लेखापरीक्षण स्थानीय लेखापरीक्षा द्वारा किया गया एवं यू. पी. वन निगम अधिनियम, 1974 में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त वन निगम के दिनांक 31 जुलाई 2010 के आदेशानुसार वर्ष 2008-09 के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु इस कार्यालय को प्राधिकृत किया गया।

परिशिष्ट 1.2

(प्रस्तर 1.11 में सन्दर्भित)

पीएसयू, जिनके लेखे लम्बित हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती हुई विवरणी

(कॉलम 4 एवं 6 से 9 के आँकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रम सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूँजी	लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण की अवधि	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे लम्बित हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अ.	कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ							
1	यू. पी. स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	2009-10	40.00	2010-11 से 2014-15		66.00		
2	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2008-09	1.50	2009-10 से 2014-15			200.00	
3	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	216.99	2012-13 से 2014-15				49.55
4	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	87.66	2014-15	25.41		2.35	
5	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2013-14	93.24	2014-15		6.14		
6	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	31.91	2014-15		1.10		
7	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2012-13	18.60	2013-14 से 2014-15	14.00			
8	लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	0.05	2014-15	60.00	35.00	173.00	
9	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2013-14	7840.99	2014-15	351.90			
10	यू. पी. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती यू. पी. निर्यात निगम लिमिटेड)	2006-07	7.24	2007-08 से 2014-15			5.30	
11	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	35690.22	2014-15	9189.65			
12	पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	2478.20	2014-15				2224.75
13	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2013-14	163.15	2014-15				159.12

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2013-14	5402.51	2014-15	1823.89			
15	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13	1.00	2013-14 से 2014-15			2.00	
16	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	2006-07	5.00	2007-08 से 2014-15		30.00		
17	मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2010-11	0.05	2011-12 से 2014-15			3.95	
	योग अ (कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)		52078.30		11464.85	138.24	386.59	2433.42
ब.	कार्यरत सांविधिक निगम							
1	उत्तर प्रदेश जल निगम	2010-11	0.00	2011-12 से 2014-15			1157.37	
	योग ब (कार्यरत सांविधिक निगम)		0.00		0.00	0.00	1157.37	0.00
स.	अकार्यरत कम्पनियाँ							
1	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	2013-14	160.79	2014-15		0.54		
	योग स (अकार्यरत कम्पनियाँ)		160.79		0.00	0.54	0.00	0.00
	महायोग (अ+ब+स)		52239.09		11464.85	138.78	1543.96	2433.42

स्रोत: पीएसयू द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना

परिशिष्ट 2.1.1

(प्रस्तर 2.1.1 में सन्दर्भित)

टीपीएस की स्थापित और परिचालित क्षमता को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	टीपीएस	1 अप्रैल 2010 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2015 को
		क्षमता (मे.वा. में)	क्षमता (मे.वा. में)	क्षमता (मे.वा. में)
		स्थापित	स्थापित	परिचालित
1	ओबरा ए	382	288	100
2	ओबरा बी	1000	1000	600
3	अनपरा ए	630	630	630
4	अनपरा बी	1000	1000	1000
5	पनकी	210	210	210
6	हरदुआगंज	220	170	60
7	हरदुआगंज विस्तार	0	500	500
8	पारीछा	220	220	110
9	पारीछा विस्तार	420	420	420
10	पारीछा विस्तार चरण 2	0	500	500
योग		4082	4938	4130

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट 2.1.1 ए

(प्रस्तर 2.1.1 में सन्दर्भित)

एचटीपीएस/एचटीपीएस विस्तार की स्थापित क्षमता को दर्शाती विवरणी

टीपीएस	यूनिट संख्या	31 मार्च 2015 को क्षमता स्थापित	वाणिज्यिक परिचालन की तिथि	वर्तमान स्थिति
एचटीपीएस	5	60 मे.वा.	14 मई 1977	परिचालित
	7	110 मे.वा.	अगस्त 1978	जून 2009 से आर एण्ड एम में
एचटीपीएस विस्तार	8	250 मे.वा.	1 फरवरी 2012	परिचालित
	9	250 मे.वा.	10 अक्टूबर 2013	परिचालित
योग		670 मे.वा.		

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट 2.1.2
(प्रस्तर 2.1.8 में सन्दर्भित)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान इकाई वार उत्पादन को दर्शाती विवरणी

वर्ष	विद्युत उत्पादन (एमयू)			2012 एवं 2013 के टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत प्रभार की दर (पैसे प्रति केडब्ल्यूएच में)	विद्युत में हानि के समतुल्य धनराशि (₹ करोड़ में)
	लक्ष्य	वास्तविक	कमी (प्रतिशत)		
यूनिट 5					
2010-11	344	141	203 (59)	436	88.51
2011-12	194	176	18 (9)	566	10.19
2012-13	294	222	72 (24)	445.03	32.04
2013-14	315	94	221 (70)	546.97	120.88
2014-15	315	125	190 (60)	546.97	103.92
योग	1462	758	704 (48)		355.54
यूनिट 8					
2011-12	311	180	131 (42)	374	48.99
2012-13	1861	987	874 (47)	417.56	364.95
2013-14	1861	1744	117 (6)	434.35	50.82
2014-15	1861	1629	232 (12)	434.35	100.77
योग	5894	4540	1354 (23)		565.53
यूनिट 9					
2013-14	931	861	70 (8)	434.35	30.40
योग	931	861	70 (8)		30.40
महा योग					951.47

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना।

परिशिष्ट 2.1.3
(प्रस्तर 2.1.9 में सन्दर्भित)

कम प्लॉन्ट लोड फैक्टर के कारण राजस्व हानि को दर्शाती विवरणी

वर्ष	क्षमता (मे.वा. में)	यूपीईआरसी के मानदण्ड के अनुसार पीएलएफ (प्रतिशत में)	वास्तविक पीएलएफ (प्रतिशत में)	पीएलएफ में कमी (प्रतिशत में)	यूनिट के परिचालन के वास्तविक घंटे	उत्पादन में कमी (एमयू में)	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत प्रभार की दर (पैसे प्रति केडब्ल्यूएच में)	उत्पादित न हो पायी विद्युत का मूल्य (₹ करोड़ में)
यूनिट 5								
2010-11	60	51	26.75	24.25	4943.40	71.926	436	31.36
2011-12	60	53	33.39	19.61	4361.61	51.319	566	29.05
2012-13	60	56	42.26	13.74	5753.26	47.430	445.03	21.11
2013-14	60	60	17.83	42.17	2347.84	59.405	546.97	32.49
2014-15	60	60	23.78	36.22	3620.32	78.677	546.97	43.03
योग						308.757		157.04
यूनिट 8								
2010-11	250	85	49.92	35.08	791.20	69.388	374	25.95
2012-13	250	85	45.18	39.82	4679.70	465.864	417.56	194.53
2013-14	250	85	79.66	5.34	7604.09	101.515	434.35	44.09
2014-15	250	85	74.37	10.63	7565.25	201.047	434.35	87.32
योग						837.814		351.89
यूनिट 9								
2013-14	250	85	82.95	2.05	3653.53	18.724	434.35	8.13
2014-15	250	85	84.35	0.65	8062.16	13.101	434.35	5.69
योग						31.825		13.82
महायोग						1178.396		522.75

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट 2.1.4
(प्रस्तर 2.1.9 में सन्दर्भित)

प्लॉन्ट उपलब्धता को दर्शाती विवरणी

वर्ष	उत्पादन क्षमता (मे.वा. में)	परिचालन के लिये उपलब्ध कुल घंटे	यूपीईआरसी के मानदण्ड के अनुसार पीएलएफ (प्रतिशत में)	प्लांट उपलब्धता का यूपीईआरसी का मानदण्ड (प्रतिशत में)	मानदण्ड के सन्दर्भ में परिचालित घंटे	वास्तविक परिचालित घंटे अथवा प्लांट उपलब्धता	वास्तविक प्लांट उपलब्धता (प्रतिशत में)	मानदण्ड से अधिक बन्दी (घंटे में)	अधिक बन्दी के कारण एमयू में यूनितों की हानि	यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत प्रभार की दर (पैसे प्रति केडब्ल्यूएच में)	अधिक बन्दी के कारण हानि (₹ करोड़ में)
यूनिट 5											
2010-11	60	8760	51	56	4905.60	4943.40	101	अधिक नहीं	0	436	0
2011-12	60	8760	53	58	5080.80	4361.61	86	719.19	22.870	566	12.94
2012-13	60	8760	56	61	5343.60	5753.26	108	अधिक नहीं	शून्य	445.03	0
2013-14	60	8760	60	65	5694	2347.84	41	3346.16	120.462	546.97	65.88
2014-15	60	8760	60	65	5694	3620.32	64	2073.68	74.652	546.97	40.83
योग		43800			26718	21026.43		6139.03	217.984		119.65
यूनिट 8											
2011-12	250	1440	85	85	1224	791.20	65	432.80	91.970	374	34.40
2012-13	250	8760	85	85	7446	4679.70	63	2766.30	587.839	417.56	245.45
2013-14	250	8760	85	85	7446	7604.09	102	अधिक नहीं	शून्य	434.35	0.00
2014-15	250	8760	85	85	7446	7565.25	102	अधिक नहीं	शून्य	434.35	0.00
योग		27720			23562	20640.24		3199.1	679.809		279.85
यूनिट 9											
2013-14	250	4368	85	85	3712.80	3653.53	98	59.27	12.595	434.35	5.47
2014-15	250	8760	85	85	7446	8062.16	108	अधिक नहीं	शून्य	434.35	0.00
योग		13128			11158.8	11715.69		59.27	12.595		5.47
महा योग		84648			61438.8	53382.36		9397.40	910.388		404.97

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट 2.1.5
(प्रस्तर 2.1.24, 2.1.25 तथा 2.1.26 में सन्दर्भित)

ऑक्जीलरी खपत को दर्शाती विवरणी

वर्ष	क्षमता (मे.वा. में)	वास्तविक ऑक्जीलरी खपत (प्रतिशत में)	यूपीईआरसी के मानदण्ड के अनुसार आक्जीलरी खपत (प्रतिशत में)	अधिक ऑक्जीलरी खपत (प्रतिशत में)	कुल विद्युत उत्पादन (एमयू में)	एमयू के रूप में अधिक ऑक्जीलरी खपत	वित्तीय वर्ष 2009-14 की अवधि में टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत प्रभार की दर (पैसे प्रति केडब्ल्यूएच में)	अधिक ऑक्जीलरी खपत से सम्बन्धित धनराशि (₹ करोड़ में)
यूनिट 5								
2010-11	60	16.89	11.30	5.59	140.610	7.860	436	3.43
2011-12	60	12.93	11.10	1.83	175.958	3.220	566	1.82
2012-13	60	14.62	10.90	3.72	222.139	8.277	445.03	3.68
2013-14	60	21.28	10.50	10.78	93.706	10.102	546.97	5.53
2014-15	60	18.95	10.50	8.45	124.964	10.559	546.97	5.77
योग					757.377	40.018		20.23
यूनिट 8								
2011-12	250	10.02	9	1.02	179.716	1.833	374	0.69
2012-13	250	11.04	9	2.04	986.556	20.126	417.56	8.40
2013-14	250	9.187	9	0.19	1744.490	3.262	434.35	1.42
2014-15	250	9.44	9	0.44	1628.798	7.167	434.35	3.11
योग					4539.56	32.388		13.62
यूनिट 9								
2013-14	250	8.081	9	शून्य	861.030	शून्य	434.35	0
2014-15	250	8.06	9	शून्य	1847.311	शून्य	434.35	0
योग					2708.341			0
महा योग					8005.278	72.406		33.85

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

परिशिष्ट 2.1.6
(प्रस्तर 2.1.24, 2.1.25 तथा 2.1.26 में सन्दर्भित)

विशिष्ट तेल की खपत को दर्शाती विवरणी

वर्ष	तेल की खपत के यूपीईआरसी के मानदण्ड (एम एल प्रति केडब्ल्यूएच में)	वर्ष के दौरान उत्पादित यूनिट्स (एमयू में)	यूपीईआरसी के मानदण्ड के अनुसार वर्ष के दौरान तेल की खपत (केएल में)	तेल की वास्तविक खपत (केएल में)	मानदण्ड के विरुद्ध तेल की अधिक खपत (केएल में)	मानदण्ड के विरुद्ध तेल की अधिक खपत (प्रतिशत में)	यूपीईआरसी के टैरिफ आदेश के अनुसार तेल की औसत दर (₹ प्रति केएल में)	अधिक खपत किये गये तेल का मूल्य (₹ करोड़ में)
यूनिट 5								
2010-11	4.3	140.610	604.62	2928.57	2323.95	384.36	30174	7.02
2011-12	4.1	175.958	721.43	908.40	186.97	25.92	31683	0.59
2012-13	3.9	222.139	866.34	2051.09	1184.75	136.75	57372	6.80
2013-14	3.7	93.706	346.71	951.56	604.85	174.45	57372	3.47
2014-15	3.7	124.964	462.37	3162.93	2700.56	584.07	57372	15.49
योग		757.377	3001.47	10002.55	7001.08			33.37
यूनिट 8								
2011-12	1	179.716	179.72	1931.30	1751.58	974.64	31683	5.55
2012-13	1	986.556	986.56	10887.86	9901.30	1003.62	57372	56.81
2013-14	1	1744.490	1744.49	8443.14	6698.65	383.99	57372	38.43
2014-15	1	1628.798	1628.80	5237.74	3608.95	221.57	57372	20.70
योग		4539.56	4539.56	26500.04	21960.48			121.49
यूनिट 9								
2013-14	1	861.030	861.03	4167.29	3306.26	383.99	57372	18.97
2014-15	1	1847.311	1847.31	5940.42	4093.11	221.57	57372	23.48
योग		2708.341	2708.34	10107.71	7399.37			42.45
महा योग		8005.278	10249.37	46610.30	36360.93			197.31

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

टिप्पणी: तेल की वास्तविक खपत टीपीएस-वार उपलब्ध थी। हालांकि, यूनिट-वार वास्तविक खपत उत्पादित विद्युत के अनुपातिक आधार पर अलग की गयी थी।

परिशिष्ट 2.1.7
(प्रस्तर 2.1.24, 2.1.25 तथा 2.1.26 में सन्दर्भित)

कोयले की खपत को दर्शाती विवरणी

वर्ष	प्रति यूनिट कोयले की मानक खपत (केजी में)	वर्ष के दौरान उत्पादित यूनिट्स (एमयू में)	कोयले की वास्तविक खपत (एमटी में)	यूपीईआरसी मानदण्डों के अनुरूप कोयले की खपत (एमटी में)	मानदंडों के विरुद्ध कोयले की अधिक खपत (एमटी में)	मानदंडों के विरुद्ध कोयले की अधिक खपत (प्रतिशत में)	कोयले की औसत दर (₹ प्रति एमटी में)	अधिक खपत किये गये कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में)
यूनिट 5								
2010-11	0.84	140.610	156575.33	118112.40	38462.93	32.56	2890	11.11
2011-12	0.80	175.958	181427.00	140766.40	40660.60	28.89	3034	12.34
2012-13	0.73	222.139	230587.00	162161.47	68425.53	42.20	3721	25.46
2013-14	0.72	93.706	95646.00	67468.32	28177.68	41.76	3721	10.49
2014-15	0.72	124.964	126214.00	89974.08	36239.92	40.28	3721	13.48
योग		757.377	790449.33	578482.67	211966.66			72.88
यूनिट 8								
2011-12	0.64	179.716	130182.00	115018.24	15163.76	13.18	3034	4.60
2012-13	0.58	986.556	725850.00	572202.48	153647.52	26.85	3721	57.17
2013-14	0.58	1744.490	1223248.02	1011804.20	211443.82	20.90	3721	78.68
2014-15	0.58	1628.798	1153696.36	944702.84	208993.52	22.12	3721	77.77
योग		4539.56	3232976.38	2643727.76	589248.62			218.22
यूनिट 9								
2013-14	0.58	861.030	603759.97	499397.40	104362.57	20.90	3721	38.83
2014-15	0.58	1847.311	1308471.63	1071440.38	237031.25	22.12	3721	88.20
योग		2708.341	1912231.60	1570837.78	341393.82			127.03
महा योग		8005.278	5935657.31	4793048.21	1142609.10			418.13

स्रोत: यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ आदेश और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

टिप्पणी: कोयले की वास्तविक खपत टीपीएस-वार उपलब्ध थी। हालांकि, यूनिट-वार वास्तविक खपत उत्पादित विद्युत के अनुपातिक आधार पर अलग की गयी थी।

परिशिष्ट 2.1.8
(प्रस्तर 2.1.27 में सन्दर्भित)

एसीक्यू कोयले की प्राप्ति और कोयले की कम आपूर्ति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
1	एफएसए के अनुसार कोयला (लाख एमटी में)	9.00	9.00	21.34 ¹	29.57	29.57	98.48
2	प्राप्त कोयले की मात्रा (लाख एमटी में)	7.02	4.27	11.77	22.71	26.55	72.32
3	कम प्राप्त हुए कोयले की मात्रा (लाख एमटी में)	1.98	4.73	9.57	6.86	3.02	26.16
4	कम प्राप्त कोयले का प्रतिशत	22.00	52.55	44.84	23.19	10.21	26.56

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

¹ एफएसए को हस्ताक्षरित करने के पूर्व की कोयले की मात्रा सम्मिलित है।

परिशिष्ट 2.2.1
(प्रस्तर 2.2.11 में सन्दर्भित)

पाँच वर्षों में लाभ या हानि पर कार्य कर रही इकाइयों की स्थिति को दर्शाती विवरणी
(₹ लाख में)

इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
लाभ वाली सेतु निर्माण इकाइयाँ					
चोपन	794.07	776.86	915.65	647.71	539.07
लखनऊ-II	605.89	402.27	460.88	405.89	618.71
लखनऊ-I	181.31	101.89	185.93	149.38	192.30
आगरा-I	73.81	55.50	27.64	39.05	75.95
अलीगढ़	31.50	52.52	87.44	150.09	84.13
मेरठ	1.89	36.95	109.09	105.55	90.01
बांदा	29.85	70.72	3.90	210.15	50.08
उन्नाव	110.16	11.79	70.39	6.80	लखनऊ-I में समाहित
टांडा	34.78	5.63	13.13	5.46	फैजाबाद में समाहित
रायबरेली	85.55	51.46	123.52	फतेहपुर में समाहित	
फर्रुखाबाद	94.40	25.05	इटवा में समाहित		
हस्तिनापुर	207.14	1.72	मेरठ में समाहित		
गाजियाबाद-II	7.63	गाजियाबाद-I में समाहित			
गाजीपुर	5.80	आजमगढ़ में समाहित			44.58
बिसवा	नई खुली			45.58	213.45
गोण्डा	नई खुली			13.44	
हानि वाली सेतु निर्माण इकाइयाँ					
पाँच वर्षों में हानि वहन करने वाली इकाइयाँ					
गाजियाबाद-I	-254.61	-270.77	-330.19	-202.84	-146.81
प्रतापगढ़	-12.16	-73.86	-47.40	-37.56	-56.06
आजमगढ़	-56.18	-68.86	-27.35	-19.79	-24.59
सहारनपुर	-15.61	-24.84	-21.32	-21.95	-18.41
बरेली	-50.46	-90.18	-75.80	-9.52	-33.56
फैजाबाद	-123.18	-55.68	-56.87	-104.78	-59.64
चार वर्षों में हानि वहन करने वाली इकाइयाँ					
लखीमपुर खीरी	-10.99	-176.70	-24.81	-3.39	परिवर्तित नाम सीतापुर
सैदपुर	-6.88	-36.82	-92.60	-58.92	गाजीपुर में समाहित
देवरिया	-3.81	-31.03	-22.26	16.85	-15.83
इलाहाबाद	-67.80	-173.15	-75.46	183.06	-207.52
वाराणसी-I	20.63	-31.45	-64.94	-90.04	-8.95
मथुरा	8.78	-12.78	-4.36	-25.04	-17.89
तीन वर्षों में हानि वहन करने वाली इकाइयाँ					
सोनभद्र	-28.88	-18.27	0.84	-3.42	वाराणसी-I में समाहित
वाराणसी-II	-6.79	-41.42	वाराणसी-I में समाहित		-38.57
फतेहपुर	-2.06	-1.02	बांदा में समाहित	76.70	-4.33
बहराईच	21.28	-9.84	-6.11	-16.11	10.23
गोरखपुर	46.28	-0.86	-112.60	-23.81	89.64
झाँसी-I	18.25	-28.28	-63.03	28.73	-54.97
सुल्तानपुर-I	10.76	-26.07	55.34	-10.43	-35.71
जौनपुर	नई खुली		-59.45	-28.59	-61.91
दो वर्षों में हानि वहन करने वाली इकाइयाँ					
कानपुर	-31.92	-86.38	125.86	33.02	18.96

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

इकाई	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
मिर्जापुर-I	-22.10	-31.38	416.75	443.97	252.52
सीतापुर	-9.76	-13.65	लखीमपुर खीरी में समाहित		29.23
बाराबंकी	-8.49	-21.97	फैजाबाद में समाहित		
सिद्धार्थनगर	-9.13	1.00	बस्ती में समाहित		-60.45
मुरादाबाद	-9.46	परिवर्तित नाम रामपुर	-15.50	71.10	81.50
इटावा	-6.77	फर्रुखाबाद में समाहित	0.99	-46.82	23.82
बस्ती	9.12	-17.82	30.97	44.88	-42.86
औरैया	6.54	-10.86	23.99	1322.41 ²	कानपुर में समाहित
सन्त कबीर नगर		नई खुली		-6.89	-47.48
एक वर्ष में हानि वहन करने वाली इकाइयाँ					
उरई	13.92	3.53	-23.76	27.20	14.81
शाहजहाँपुर	5.74	-7.82	बरेली में समाहित		
नजीबाबाद	12.78	-27.95	मुरादाबाद में समाहित	4.38	78.03
आगरा-II		नई खुली		-13.68	आगरा-I में समाहित
मथुरा में समाहित					
नोएडा	165.19	95.99	214.36	-109.16	135.10
जमनिया		नई खुली		-11.53	गाजीपुर में समाहित
मिर्जापुर-II		नई खुली		-10.41	मिर्जापुर-I में समाहित
चित्रकूट		नई खुली		3.99	44.62
कन्नौज		नई खुली		22.92	-69.02
फिरोजाबाद		नई खुली			-36.90
सुल्तानपुर-II		नई खुली			-12.53
हापुड़		नई खुली			-17.26
झाँसी-II		नई खुली			-5.55

स्रोत: कम्पनी के लेखों का संकलन

² इसमें निविदा कार्य के सापेक्ष ₹ 13.40 करोड़ के वसूल किये गये दावे का लेखांकन शामिल है अन्यथा इकाई ने ₹ 17.59 लाख की हानि वहन की।

परिशिष्ट 2.2.2
(प्रस्तर 2.2.11 में सन्दर्भित)

मानवशक्ति की तैनाती को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	मंडल	इकाइयों का नाम	तैनात श्रमिकों की संख्या	सेतुओं की संख्या	इकाइयों में तैनात प्रति श्रमिक वास्तविक टर्नओवर (₹ लाख में)				
					2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अनन्तिम)
1	लखनऊ	लखनऊ-I	153-252	8-13	36.74	61.72	54.34	24.29	28.18
2		लखनऊ-II	188-216	8-14	49.96	36.31	42.78	35.37	52.09
3	गाजियाबाद	नोएडा	104-157	8-16	85.14	85.64	85.37	44.71	58.65
4		गाजियाबाद	126-188	4-12	13.14	9.78	26.81	22.50	32.17
5		मेरठ	62-84	5-22	106.26	41.56	78.99	66.33	56.43
6	कानपुर	कानपुर	103-181	7-14	21.26	21.87	3.53	25.06	19.80
7		उरई	31-112	4-7	36.65	40.45	23.45	28.91	1.59
8		झाँसी-I	108-175	7-9	12.26	10.31	15.91	1.89	11.81
9	इलाहाबाद	इलाहाबाद	137-190	6-12	6.08	8.98	17.86	21.48	10.12
10		बाँदा	139-192	8-12	13.21	16.32	20.55	22.92	23.97
11	आगरा	आगरा	93-110	5-18	33.28	3.42	36.96	35.45	41.35
12	गोरखपुर	गोरखपुर	151-190	12-22	9.59	7.09	12.72	24.43	17.95
13	बस्ती	बस्ती	64-165	7-22	15.02	9.82	16.88	24.84	18.34
14	वाराणसी	वाराणसी-I	99-141	2-4	35.06	31.76	24.41	13.35	11.56
		प्रति श्रमिक औसत टर्नओवर (₹ लाख में) की अर्न्तइकाई सीमा			6.08-106.26	3.42-85.64	3.53-78.99	1.89-66.33	1.59-58.65

स्रोत: कम्पनी द्वारा करायी गयी उपलब्ध सूचना

परिशिष्ट 2.2.3
(प्रस्तर 2.2.15 में सन्दर्भित)
सेतु वार टाइम ओवररन को दर्शाती विवरणी

मंडल	सेतु
लखनऊ	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एफएएस के पश्चात् दो से 10 माह का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् 37 दिनों से 15 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एफएएस के पश्चात् 92 दिनों से 56 माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-I लखनऊ</p> <p>रिटेनिंग वाल, आलमबाग, लखनऊ</p> <p>सेतु का कार्य फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था जिसे नवम्बर 2011 तक पूर्ण किया जाना था। इकाई ने अपने हिस्से के कार्य को छः माह के विलम्ब से मई 2012 में पूर्ण किया। यद्यपि इकाई ने रेलवे को अपने हिस्से के कार्य को क्रियान्वित करने के लिये नवम्बर 2010 में ₹ 11.64 करोड़ का भुगतान किया परन्तु इसने कार्य को नवम्बर 2013 में पूर्ण किया। परिणामस्वरूप, सेतु को दो वर्षों के विलम्ब से पूर्ण किया गया।</p> <p>आरओबी, पारा, लखनऊ</p> <p>सेतु का कार्य फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था जिसे दिसम्बर 2011 तक पूर्ण किया जाना था। इकाई ने अपने हिस्से के कार्य को अक्टूबर 2013 में पूर्ण किया जिसमें एक वर्ष से 10 माह का विलम्ब था। इकाई द्वारा रेलवे को अपने हिस्से के कार्य को क्रियान्वित करने के लिये नवम्बर 2010 में ₹ 24.86 करोड़ का भुगतान किये जाने के बावजूद इसने अपने हिस्से के कार्य को जून 2014 में पूर्ण किया। परिणामस्वरूप, सेतु को तीन वर्षों तथा छः माह के विलम्ब से पूर्ण किया गया।</p> <p>बीसीयू-II लखनऊ</p> <p>आरओबी-साईकिल ट्रैक लखनऊ</p> <p>सेतु का कार्य जुलाई 2006 में स्वीकृत किया गया था जिसे मार्च 2009 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य, हालांकि, तीन वर्षों के विलम्ब से मार्च 2012 में पूर्ण किया गया। हमने पाया कि भूमि अधिग्रहण में विलम्ब था क्योंकि सेतु के मार्ग में कब्रिस्तान पड़ रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सेतु का मार्ग परिवर्तित किया गया था। इन कारणों के कारण, कार्य 26 माह तक रुका रहा। परिणामस्वरूप, सेतु को तीन वर्षों के विलम्ब से पूर्ण किया गया।</p> <p>आरओबी, विरामखण्ड, गोमतीनगर</p> <p>सेतु का कार्य जून 2010 में स्वीकृत किया गया था जिसे जुलाई 2012 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य, हालांकि, मार्च 2015 की समाप्ति तक निर्माणाधीन था। मुख्य कारण था कि एलडीए ने उच्च विभव की लाइनों को स्थानान्तरित करने में लगभग चार वर्षों का समय लिया। स्थानान्तरण का कार्य फरवरी 2014 में पूर्ण किया गया जबकि कम्पनी द्वारा कार्य हेतु भुगतान अप्रैल 2010 में कर दिया था। अग्रेतर, रेलवे कि हिस्से को पूर्ण करने में भी विलम्ब था। परिणामस्वरूप, सेतु, अगस्त 2015 को तीन वर्षों के विलम्ब से पूर्ण किया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>

मंडल	सेतु
गाजियाबाद	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) तथा प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात क्रमशः 17 दिनों से 16 माह तथा चार से 16 माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-गाजियाबाद</p> <p>आरओबी-95सी, डासना, गाजियाबाद</p> <p>सेतु का कार्य सितम्बर 2008 में स्वीकृत किया गया था जिसे अगस्त 2011 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य, हालांकि, दो वर्ष तथा छः माह के विलम्ब से मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। हमने पाया कि इकाई ने सटे हुये हिस्से के सिवाय सेतु को मार्च 2011 में पूर्ण किया परन्तु रेलवे विभाग ने रेलवे के हिस्से के कार्य को दिसम्बर 2011 में प्रारम्भ किया। रेलवे विभाग द्वारा रेलवे के हिस्से को पूर्ण करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>
कानपुर	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एएफएस के पश्चात् छः दिन से पाँच माह का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात चार से 12 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात सात से 14 माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-कानपुर</p> <p>यमुना नदी सेतु, मनकीघाट, हमीरपुर</p> <p>सेतु का कार्य अप्रैल 2006 में स्वीकृत किया गया था जिसे अप्रैल 2010 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, चार वर्षों के विलम्ब से मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित (सितम्बर 2015) किया गया, कूपों के कठोर एवं पथरीले स्तर का होना था।</p> <p>यमुना नदी सेतु, जूहिखघाट, जालौन</p> <p>सेतु का कार्य अक्टूबर 2005 में स्वीकृत किया गया था जिसे नवम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, चार वर्षों के विलम्ब से जनवरी 2014 में पूर्ण किया गया। सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हेतु कारण को अभिलेखों में नहीं पाया गया।</p> <p>सजनाम नदी सेतु, हंसार, कलगुँआं मार्ग</p> <p>सेतु का कार्य जून 2005 में स्वीकृत किया गया था जिसे अप्रैल 2010 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, तीन वर्ष तथा छः माह के विलम्ब से दिसम्बर 2013 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण था कि अप्रैल 2007 से मार्च 2011 के दौरान निधि के अभाव में कार्य रुका हुआ था। जब संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया तथा 2011 में निधि जारी की गयी तब कार्य को प्रारम्भ तथा पूर्ण किया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>

मंडल	सेतु
इलाहाबाद	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एएफएस के पश्चात् एक माह का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् एक से पाँच माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् 21 दिन से सात माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-इलाहाबाद</p> <p>गंगा नदी, यात्री घाट, प्रतापगढ़</p> <p>सेतु का कार्य अगस्त 2006 में स्वीकृत किया गया था जिसे अक्टूबर 2010 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, तीन वर्ष तथा चार माह के विलम्ब से मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण अभिलेखित नहीं था; प्रबन्धन ने सूचित (सितम्बर 2015) कि क्लाइन्ट (डीआरडीए) द्वारा निधि को जारी करने में विलम्ब के कारण सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब था।</p> <p>बीसीयू-बांदा</p> <p>केन नदी सेतु-2, बाई-पास, बांदा</p> <p>सेतु का कार्य अगस्त 2008 में स्वीकृत किया गया था जिसे अक्टूबर 2012 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, दो वर्ष तथा 10 माह के विलम्ब के साथ निर्माणाधीन (अगस्त 2015) था। विलम्ब हेतु कारण सेतु को अधिक लम्बाई तथा कूपों के कठोर एवं पथरीले स्तर का होना था जिसमें समय लगा।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>
आगरा	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एएफएस के पश्चात् 35 दिन का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् तीन से 31 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् चार से सात माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-आगरा</p> <p>आरओबी-491, रोहता-रूनकता मार्ग</p> <p>सेतु का कार्य फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था जिसे अगस्त 2011 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, तीन वर्षों के विलम्ब से अगस्त 2014 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण को अभिलेखों में नहीं पाया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>

मंडल	सेतु
गोरखपुर	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एएफएस के पश्चात् 39 से 69 दिन का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् छः से 31 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् 77 दिनों का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-गोरखपुर</p> <p>आरओबी-163ए, सूरज कुण्ड</p> <p>सेतु का कार्य मार्च 2008 में स्वीकृत किया गया था जिसे दिसम्बर 2011 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, निर्माणाधीन (अगस्त 2015) था। इस प्रकार सेतु को पूर्ण होने में तीन वर्षों का विलम्ब था जो और अधिक बढ़ेगा। निर्माण में विलम्ब हेतु मुख्य कारण थे कि सेतु के मार्ग में अतिक्रमण था जिसे बाद में परिवर्तित किया गया। मार्ग में परिवर्तन से रेलवे विभाग की भूमि का पट्टा आवश्यक था जिसके लिये अक्टूबर 2013 में प्रस्ताव भेजा गया। पट्टा विलेख अगस्त 2014 में सम्पादित किया गया।</p> <p>रोहिन नदी सेतु, चनकी घाट</p> <p>सेतु का कार्य मार्च 1996 में स्वीकृत किया गया था जिसे अप्रैल 2000 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, 12 वर्षों के विलम्ब से मई 2012 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु मुख्य कारण था कि प्रश्नगत क्षेत्र सोहागी बरवा वाइल्डलाइफ सैन्चुरी के अन्तर्गत आता था। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वानिकी भूमि के गैर-वानिकी प्रयोग हेतु केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक था परन्तु एनओसी प्राप्त किये बिना सेतु का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। इसलिये वन विभाग द्वारा कार्य को रोक दिया गया। इकाई द्वारा मई 2000 में एनओसी प्रदान करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। केन्द्र सरकार ने जून 2011 में एनओसी प्रदान की। इस अवधि के दौरान (मई 1999 से मार्च 2011) कार्य रूका रहा। इसके परिणामस्वरूप सेतु को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ जिससे दृढ़तापूर्वक अनुसरण के द्वारा समय से एनओसी प्राप्त करके बचा जा सकता था।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>
बस्ती	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् चार से 17 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् 15 दिन से नौ माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-बस्ती</p> <p>घाघरा सेतु, बिरहर घाट</p> <p>सेतु का कार्य मार्च 2005 में स्वीकृत किया गया था जिसे सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, पाँच वर्ष तथा छः माह के विलम्ब से नवम्बर 2014 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण को अभिलेखों में नहीं पाया गया।</p> <p>बूढ़ी राप्ती सेतु, होरिल्लपुर घाट, सिद्धार्थनगर</p> <p>सेतु का कार्य मार्च 2005 में स्वीकृत किया गया था जिसे सितम्बर 2009 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, दो वर्ष तथा छः माह के विलम्ब से अप्रैल 2012 में पूर्ण किया गया। विलम्ब हेतु कारण को अभिलेखों में नहीं पाया गया।</p> <p>प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>

मंडल	सेतु
वाराणसी	<p>लेखापरीक्षा द्वारा टाइम ओवररन हेतु कारणों का विश्लेषण करने पर पता चला कि कार्यस्थल को अन्तिमीकृत करने हेतु एएफएस के पश्चात् 62 दिन का समय लिया गया, कम्पनी द्वारा इकाइयों को जनरल अरेन्जमेन्ट ड्राईंग (जीएडी) जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् आठ से 10 माह का समय तथा कम्पनी द्वारा इकाइयों को प्रथम ड्राईंग जारी करने के लिये एएफएस के पश्चात् नौ से 18 माह का समय लिया गया, साथ ही साथ, क्रियाकलाप-वार समयबद्ध निर्माण नियोजन को तैयार करने की प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।</p> <p>बीसीयू-वाराणसी</p> <p>गंगा नदी सेतु सामने घाट</p> <p>सेतु का कार्य फरवरी 2006 में स्वीकृत किया गया था जिसे अगस्त 2010 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, निर्माणाधीन (अगस्त 2015) था। इस प्रकार पाँच वर्षों का विलम्ब था। विलम्ब के कारण निम्नवत थे;</p> <ul style="list-style-type: none"> सेतु तथा पहुँच मार्ग हेतु 1.77 हेक्टेयर भूमि की प्राप्ति की जानी थी। पीडब्ल्यूडी, वाराणसी ने अक्टूबर 2007 में एसएलएओ को भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा। एसएलएओ को ₹ 1.43 करोड़ की धनराशि, जैसा कि एसएलएओ द्वारा मांग की गयी थी, का भुगतान भी अगस्त 2008 में किया गया परन्तु भूमि का अधिग्रहण मई 2013 में हो सका। इकाई ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया (आईडब्ल्यूएआई) को एनओसी के लिये प्रस्ताव भेजा (28 जून 2010)। आईडब्ल्यूएआई ने 8 अगस्त 2013 को एनओसी प्रदान की। उपर्युक्त कारणों से सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। <p>गंगा नदी सेतु, बलुआघाट</p> <p>सेतु का कार्य नवम्बर 2005 में स्वीकृत किया गया था जिसे अप्रैल 2010 तक पूर्ण किया जाना था। सेतु, हालांकि, पाँच वर्षों के विलम्ब से मार्च 2014 में पूर्ण किया गया। हमने पाया कि आईडब्ल्यूएआई ने सेतु के चल रहे निर्माण कार्य को रोकने हेतु आदेश (24 अप्रैल 2010) दिया। आईडब्ल्यूएआई के आदेशों के अनुक्रम में इकाई सेतु के निर्माण की एनओसी हेतु आवेदन (4 मई 2010) किया। आईडब्ल्यूएआई ने सेतु के निर्माण के लिये 19 फरवरी 2014 को "सशर्त विलयरेन्स" प्रदान की। इस प्रकार एनओसी प्रदान करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ। प्रबन्धन ने सेतुओं के पूर्ण होने में विलम्ब के लिए सामान्य कारणों को बताया (सितम्बर 2015)। समापन बैठक में, विशेष सचिव ने सेतुओं के निर्माण में विलम्ब को संज्ञान में लिया तथा प्रबन्धन को भविष्य में विलम्ब से बचने हेतु निर्देशित किया।</p>

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना एवं लेखापरीक्षा द्वारा आगणित

परिशिष्ट 2.2.4
(प्रस्तर 2.2.16 में सन्दर्भित)
कॉस्ट ओवररन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

मंडल का नाम	क्रम सं०	इकाई का नाम	कार्य का कोड	कार्य का नाम	पूर्ण करने का वर्ष	मूल प्राक्कलन	किये गये व्यय	कास्ट ओवररन	कास्ट ओवररन (प्रतिशतता)
लखनऊ	1	लखनऊ-I	1963	कुकरैल नाला, लखनऊ	2009-10	415.87	592.83	176.96	42.55
	2	लखनऊ-I	2156	आरओबी, मानकनगर, लखनऊ	2012-13	2043.70	4063.64	2019.94	98.84
	3	लखनऊ-I	2154	आरओबी, भैंसाकुण्ड निशातगंज, लखनऊ	2011-12	2681.42	3062.07	380.65	14.20
	4	लखनऊ-I	2161	रिटेनिंग वाल, आलमबाग, लखनऊ	2013-14	1471.41	3180.80	1709.39	116.17
	5	लखनऊ-I	2160	आरओबी, पारा, लखनऊ	2014-15	2559.70	7945.65	5385.95	210.41
	6	लखनऊ-I	2021	गोमती सेतु, सुबेहा मार्ग, बाराबंकी	2012-13	856.17	983.14	126.97	14.83
	7	लखनऊ-I	2247	फलाईओवर, बुद्धेश्वर, लखनऊ	2013-14	1664.22	3449.46	1785.24	107.27
	8	लखनऊ-I	2205	गोमती सेतु, घैलाघाट, लखनऊ	डब्ल्यूआईपी	1286.40	2554.43	1268.03	98.57
	9	लखनऊ-I	12003	आरओबी, पुरनिया, लखनऊ	2014-15	4993.64	5796.60	802.96	16.08
	10	लखनऊ-II	2063	आरओबी-8एमएल, निरालानगर,	2011-12	1203.40	1528.94	325.54	27.05
	11	लखनऊ-II	1975	आरओबी-साईकिल ट्रैक, लखनऊ	2011-12	4008.29	5425.00	1416.71	35.34
	12	लखनऊ-II	2167	आरओबी-सहारा ब्रिज, गोमतीनगर	2011-12	2055.00	7657.59	5602.59	272.63
	13	लखनऊ-II	2258	कुकरैल नाला के ऊपर सेतु, लखनऊ	2014-15	4814.52	5280.20	465.68	9.67
	14	लखनऊ-II	2450	घाघरा नदी सेतु, चाहलारी घाट	डब्ल्यूआईपी	8588.29	9984.43	1396.14	16.26
	15	लखनऊ-II	13002	आरओबी-214 विशेष, माल एवेन्यू	2014-15	3799.33	4204.97	405.64	10.68
	16	लखनऊ-II	13004	साईकिल ट्रैक, कब्रिस्तान	2014-15	451.24	867.48	416.24	92.24
योग						42892.60	66577.23	23684.63	
गजियाबाद	1	नोएडा	2137	आरओबी-74 एवं 41 विशेष, हापुड	2011-12	2091.46	2689.42	597.96	28.59
	2	नोएडा	2423	आरओबी-13ए, बुलंदशहर	2014-15	5151.00	5488.12	337.12	6.54
	3	नोएडा	2418	आरओबी-15ए, बुलंदशहर	2014-15	1902.98	2147.49	244.51	12.85

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

मंडल का नाम	क्रम सं०	इकाई का नाम	कार्य का कोड	कार्य का नाम	पूर्ण करने का वर्ष	मूल प्राक्कलन	किये गये व्यय	कास्ट ओवररन	कास्ट ओवररन (प्रतिशतता)
	4	गाजियाबाद	2135	आरओबी-95सी, डासना, गाजियाबाद	2013-14	1494.71	2240.39	745.68	49.89
	5	गाजियाबाद	2274	आरओबी-10सी, मुरादनगर, गाजियाबाद	2011-12	1411.34	1418.14	6.80	0.48
	6	गाजियाबाद	2281	आरओबी-2सी, जैन मन्दिर	2014-15	3010.20	3214.92	204.72	6.80
	7	मेरठ	2261	आरओबी-55, मेवला फाटक, मुजफ्फरनगर	2013-14	2098.30	2593.78	495.48	23.61
	8	मेरठ	2469	आरओबी-92सी, सरसवाँ	2014-15	1716.95	1809.48	92.53	5.39
योग						18876.94	21601.74	2724.80	
कानपुर	1	कानपुर	1833	रिन्द नदी सेतु, बिनौर पेराजोर, कानपुर	2010-11	196.93	241.52	44.59	22.64
	2	कानपुर	2149	आरओबी-77बी श्यामनगर, कानपुर	2011-12	1154.16	1681.94	527.78	45.73
	3	कानपुर	1947	यमुना नदी सेतु, मनकीघाट, हमीरपुर	2013-14	2192.00	3499.46	1307.46	59.65
	4	कानपुर	2175	आरओबी-81डी कैन्ट, कानपुर	2011-12	824.24	1358.41	534.17	64.81
	5	कानपुर	2350	आरओबी-240ए दादानगर, कानपुर	2013-14	1835.98	2162.00	326.02	17.76
	6	कानपुर	1735	यमुना नदी सेतु, जुहिखघाट, जालौन	2013-14	2378.06	3864.87	1486.81	62.52
	7	झाँसी	1681	सजनम नदी सेतु, हंसार कलमुँवां मार्ग	2013-14	92.94	207.08	114.14	122.81
योग						8674.31	13015.28	4340.97	
इलाहाबाद	1	इलाहाबाद	2256	फलाईओवर, अलोपीदेवी मन्दिर से बैरहना क्रासिंग	2012-13	2965.97	3665.24	699.27	23.58
	2	इलाहाबाद	1983	गंगा नदी, यात्री घाट, प्रतापगढ़	2013-14	2384.34	3890.72	1506.38	63.18
	3	बांदा	2064	पैशवानी नदी सेतु, देवल कुचारम	2012-13	516.56	730.28	213.72	41.37
	4	बांदा	1994	चन्द्रावल नदी सेतु, पबधारी पारा	2011-12	342.01	420.03	78.02	22.81
	5	बांदा	2130	केन नदी सेतु-2, बाईपास, बांदा	डब्ल्यूआईपी	2276.30	4321.82	2045.52	89.86
	6	बांदा	2114	चन्द्रावल नदी सेतु, बन्नी	2010-11	244.21	248.92	4.71	1.93
योग						8729.39	13277.01	4547.62	
आगरा	1	आगरा	2268	आरओबी-503, सिकन्दरा-बोदला मार्ग	2014-15	1707.85	1989.85	282.00	16.51
	2	आगरा	2164	आरओबी-157, रावली मन्दिर और कलेक्ट्रेट के मध्य	डब्ल्यूआईपी	307.84	1243.79	935.95	304.04
	3	आगरा	2422	आरओबी-509, आगरा-मथुरा रेल सेक्शन	2014-15	1632.13	1853.25	221.12	13.55
	4	आगरा	2158	आरओबी-491, रोहता-रूनकता मार्ग	2014-15	1881.45	3369.85	1488.40	79.11

मंडल का नाम	क्रम सं०	इकाई का नाम	कार्य का कोड	कार्य का नाम	पूर्ण करने का वर्ष	मूल प्राक्कलन	किये गये व्यय	कास्ट ओवररन	कास्ट ओवररन (प्रतिशतता)
	5	आगरा	2120	यमुना नदी सेतु, स्ट्रेची सेतु के समीप, आगरा	2010-11	1273.58	2508.14	1234.56	96.94
	6	आगरा	2437	आरओबी-81, अवलखेड़ा-जलेसर मार्ग	डब्ल्यूआईपी	1429.82	1584.88	155.06	10.84
योग						8232.67	12549.76	4317.09	
गोरखपुर	1	गोरखपुर	2050	आरओबी 158ए/3ई, चार फाटक	2011-12	806.66	1017.52	210.86	26.14
	2	गोरखपुर	1059	रोहिन नदी सेतु, चनकी घाट	2012-13	78.10	332.50	254.40	325.74
	3	गोरखपुर	2393	राप्ती नदी सेतु, असवनपार	डब्ल्यूआईपी	1321.87	1370.66	48.79	3.69
	4	गोरखपुर	2434	आमी नदी सेतु, कटाई टीकर	2013-14	293.71	371.60	77.89	26.52
योग						2500.34	3092.28	591.94	
बस्ती	1	बस्ती	2123	कुआनो नदी सेतु/सिसवनिया घाट, सन्त कबीर नगर	2010-11	305.90	309.34	3.44	1.12
	2	बस्ती	1458	घाघरा नदी सेतु, बिरहर घाट	2014-15	5374.34	5701.86	327.52	6.09
	3	बस्ती	2182	राप्ती नदी सेतु, विठारी घाट	डब्ल्यूआईपी	441.25	502.43	61.18	13.87
योग						6121.49	6513.63	392.14	
वाराणसी	1	वाराणसी-1	1762	गंगा नदी सेतु, सामने घाट	डब्ल्यूआईपी	3893.00	5976.02	2083.02	53.51
	2	वाराणसी-1	2114	गोमती नदी सेतु, बनसल्ली घाट	2010-11	443.85	629.91	186.06	41.92
	3	वाराणसी-1	1741	गंगा नदी सेतु, बलुआ घाट	डब्ल्यूआईपी	3664.73	4605.66	940.93	25.68
योग						8001.58	11211.59	3210.01	
कुल योग	53					104029.32	147838.52	43809.20	

स्रोत: इकाइयों द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.2.5
(प्रस्तर 2.2.18 में सन्दर्भित)

मानक ओनरशिप एण्ड ऑपरेशनल चार्जेज तथा उसके सापेक्ष लेखांकित किये गये वास्तविक प्रभारों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
ओनरशिप चार्जेज (ओडब्ल्यू सी)							
कार्य पर लेखांकित ओडब्ल्यू सी	12.32	12.58	14.30	13.17	14.63	14.47	81.47
लेखांकित की जाने वाली ओडब्ल्यू सी (वास्तविक हास)	3.55	3.05	2.63	2.29	2.55	3.70	17.77
कार्य पर अधिक प्रभारण	8.77	9.53	11.67	10.88	12.08	10.77	63.70
ऑपरेशनल चार्जेज (ओपी सी)							
कार्य पर लेखांकित ओपी सी	20.48	18.63	18.17	17.42	19.74	20.18	114.62
किये गये वास्तविक व्यय	10.03	10.06	12.78	12.87	16.57	17.38	79.69
कार्य पर अधिक प्रभारण	10.45	8.57	5.39	4.55	3.17	2.80	34.93
लेखांकित किये गये कुल ओडब्ल्यू सी और ओपी सी							196.09
वास्तविक ओडब्ल्यू सी और ओपी सी							97.46
अधिक ओडब्ल्यू सी और ओपी सी							98.63

स्रोत: कम्पनी के लेखे

परिशिष्ट 2.2.6
(प्रस्तर 2.2.19 में सन्दर्भित)

मानक शटरिंग प्रभारों एवं उसके सापेक्ष लेखांकित किये जाने वाले शटरिंग पर वास्तविक हास को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्मित	योग	कार्य पर प्रभारित किया जाने वाला 30 प्रतिशत हास	वर्ष की समाप्ति पर अपलिखित मूल्य	कार्य पर लेखांकित किये गये मानक प्रभार	योग का अपलिखित से प्रतिशत	कार्य पर अधिक प्रभारण
1	2	3	4 (2+3)	5 (4x30 प्रतिशत)	6 (4-5)	7	8 (7x100/4)	9 (7-5)
2009-10	27.02	29.80	56.82	17.05	39.77	24.71	43.48	7.66
2010-11	39.77	12.60	52.37	15.71	36.66	18.98	42.46	3.27
2011-12	36.66	22.91	59.57	17.87	41.70	23.31	47.92	5.44
2012-13	41.70	25.88	67.58	20.27	47.31	23.17	45.24	2.90
2013-14	47.31	17.48	64.79	19.44	45.35	24.77	54.42	5.33
2014-15	45.35	35.53	80.88	24.26	56.62	32.69	58.07	8.43
योग				114.60		147.63		33.03

स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदान की गयी सूचना एवं लेखापरीक्षा द्वारा आगणित

परिशिष्ट 2.2.7

(प्रस्तर 2.2.25, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.30, 2.2.31, 2.2.32, 2.2.33, 2.2.35, 2.2.36, 2.2.37, 2.2.39, 2.2.40, 2.2.41, 2.2.42, 2.2.44, 2.2.45, 2.2.49, 2.2.50, 2.2.52, 2.2.53, 2.2.55 एवं 2.2.56 में सन्दर्भित)

अन्य अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	विवरण	धनराशि (₹ लाख में)																																																				
1.	<p>उपभोग विवरण को तैयार न किया जाना</p> <p>मैनूअल के प्रस्तर 137, 144 एवं 145 के उल्लंघन में इकाइयों द्वारा उपभोग विवरण तैयार नहीं किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्रियों का उपभोग निर्धारित मानदण्डों के अन्दर था। हालांकि, इकाइयों द्वारा तैयार करवाये गये सीमेंट के उपभोग विवरण के अनुसार, हमने पाया कि 88 सेतुओं में से 13 सेतुओं में ₹ 57.78 लाख के 22226 बैग सीमेंट का निर्धारित मानक से अधिक उपभोग किया गया, जिसे प्रबन्धन द्वारा अवलोकित नहीं किया जा सका। सीमेंट के अधिक उपभोग का मंडल-वार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मंडल</th> <th>इकाई</th> <th>सेतुओं की संख्या</th> <th>सीमेंट का अधिक उपभोग (बैग में)</th> <th>धनराशि³ (₹ लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">लखनऊ</td> <td>बीसीयू-I लखनऊ</td> <td>4</td> <td>9707</td> <td>25.23</td> </tr> <tr> <td>बीसीयू-II, लखनऊ</td> <td>3</td> <td>9877</td> <td>25.68</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">गाजियाबाद</td> <td>बीसीयू मेरठ</td> <td>1</td> <td>315</td> <td>0.82</td> </tr> <tr> <td>बीसीयू नोएडा</td> <td>2</td> <td>1142</td> <td>2.97</td> </tr> <tr> <td>इलाहाबाद</td> <td>बीसीयू बांदा</td> <td>3</td> <td>1185</td> <td>3.08</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>13</td> <td>22226</td> <td>57.78</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2015) कि उपभोग विवरण को तैयार करने हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं (24 फरवरी 2015)।</p>	मंडल	इकाई	सेतुओं की संख्या	सीमेंट का अधिक उपभोग (बैग में)	धनराशि ³ (₹ लाख में)	लखनऊ	बीसीयू-I लखनऊ	4	9707	25.23	बीसीयू-II, लखनऊ	3	9877	25.68	गाजियाबाद	बीसीयू मेरठ	1	315	0.82	बीसीयू नोएडा	2	1142	2.97	इलाहाबाद	बीसीयू बांदा	3	1185	3.08	योग		13	22226	57.78	57.78																			
मंडल	इकाई	सेतुओं की संख्या	सीमेंट का अधिक उपभोग (बैग में)	धनराशि ³ (₹ लाख में)																																																		
लखनऊ	बीसीयू-I लखनऊ	4	9707	25.23																																																		
	बीसीयू-II, लखनऊ	3	9877	25.68																																																		
गाजियाबाद	बीसीयू मेरठ	1	315	0.82																																																		
	बीसीयू नोएडा	2	1142	2.97																																																		
इलाहाबाद	बीसीयू बांदा	3	1185	3.08																																																		
योग		13	22226	57.78																																																		
2.	<p>गैर आरसी फर्मा से उच्च दरों पर स्टील की प्राप्ति</p> <p>इकाइयों द्वारा मार्च 2014 तक के पाँच वर्षों के दौरान आरसी फर्मा की तुलना में गैर आरसी फर्मा से ₹ 10.02 करोड़ के स्टील बार (2340.45 मी. टन) का क्रय उच्च दरों (0.04 प्रतिशत से 24.86 प्रतिशत) पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 57.91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। गैर आरसी फर्मा से क्रय के कारण, इकाइयों द्वारा किया गया अतिरिक्त व्यय आवश्यक अनुपलब्धता प्रमाणपत्र (गैर आरसी फर्मा से) से समर्थित नहीं था तथा कम्पनी के मुख्यालय के संज्ञान में भी इसे नहीं लाया गया ताकि अनुबन्धों के अनुसार चूक करने वाले आरसी फर्मा के अग्रिम धन से अत्यधिक व्यय/लागत की वसूली की जा सके। मंडल-वार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मंडल</th> <th>इकाई</th> <th>क्रय किये गये स्टील (मी. टन में)</th> <th>गैर आर सी फर्मा से क्रय की लागत (₹ लाख में)</th> <th>आर सी दरों पर क्रय की लागत (₹ लाख में)</th> <th>अधिक व्यय (₹ लाख में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">लखनऊ</td> <td>लखनऊ-I</td> <td>519.94</td> <td>218.70</td> <td>204.91</td> <td>13.79</td> </tr> <tr> <td>लखनऊ-II</td> <td>311.54</td> <td>134.52</td> <td>123.96</td> <td>10.56</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">गाजियाबाद</td> <td>गाजियाबाद</td> <td>33.44</td> <td>11.47</td> <td>10.58</td> <td>0.89</td> </tr> <tr> <td>नोएडा</td> <td>367.59</td> <td>167.29</td> <td>158.50</td> <td>8.79</td> </tr> <tr> <td>कानपुर</td> <td>कानपुर</td> <td>413.15</td> <td>167.01</td> <td>156.62</td> <td>10.39</td> </tr> <tr> <td>इलाहाबाद</td> <td>इलाहाबाद</td> <td>319.18</td> <td>136.93</td> <td>126.71</td> <td>10.22</td> </tr> <tr> <td>आगरा</td> <td>आगरा</td> <td>375.61</td> <td>166.44</td> <td>163.17</td> <td>3.27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>2340.45</td> <td>1002.36</td> <td>944.45</td> <td>57.91</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2015) कि छोटी मात्राओं (15 मी. टन के ट्रक लोड से कम) में स्टील के क्रय के कारण दरें अधिक थीं। उत्तर सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि इकाइयों की आवश्यकता 15 मी. टन से अधिक थीं और क्रय का नियोजन तदनुसार किया जाना चाहिये था।</p>	मंडल	इकाई	क्रय किये गये स्टील (मी. टन में)	गैर आर सी फर्मा से क्रय की लागत (₹ लाख में)	आर सी दरों पर क्रय की लागत (₹ लाख में)	अधिक व्यय (₹ लाख में)	लखनऊ	लखनऊ-I	519.94	218.70	204.91	13.79	लखनऊ-II	311.54	134.52	123.96	10.56	गाजियाबाद	गाजियाबाद	33.44	11.47	10.58	0.89	नोएडा	367.59	167.29	158.50	8.79	कानपुर	कानपुर	413.15	167.01	156.62	10.39	इलाहाबाद	इलाहाबाद	319.18	136.93	126.71	10.22	आगरा	आगरा	375.61	166.44	163.17	3.27		योग	2340.45	1002.36	944.45	57.91	57.91
मंडल	इकाई	क्रय किये गये स्टील (मी. टन में)	गैर आर सी फर्मा से क्रय की लागत (₹ लाख में)	आर सी दरों पर क्रय की लागत (₹ लाख में)	अधिक व्यय (₹ लाख में)																																																	
लखनऊ	लखनऊ-I	519.94	218.70	204.91	13.79																																																	
	लखनऊ-II	311.54	134.52	123.96	10.56																																																	
गाजियाबाद	गाजियाबाद	33.44	11.47	10.58	0.89																																																	
	नोएडा	367.59	167.29	158.50	8.79																																																	
कानपुर	कानपुर	413.15	167.01	156.62	10.39																																																	
इलाहाबाद	इलाहाबाद	319.18	136.93	126.71	10.22																																																	
आगरा	आगरा	375.61	166.44	163.17	3.27																																																	
	योग	2340.45	1002.36	944.45	57.91																																																	

³ 2013-14 में सम्पादित दर अनुबन्धों के ₹ 260/बैग की सबसे कम दर पर गणना की गयी।

क्रम सं०	विवरण	धनराशि (₹ लाख में)																																																														
3.	<p>कन्ज्यूमेबल वस्तुओं का क्रय मैनुअल के प्रस्तर 23 के उल्लंघन में कम्पनी के वाणिज्यिक अनुभाग ने सामान्य प्रकार की क्रय की जाने वाली वस्तुओं (कन्ज्यूमेबल) के मूल्यों को परिसंचारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, 2009-10 के दौरान 14 इकाइयों द्वारा 40 कन्ज्यूमेबल वस्तुओं का एक प्रतिशत से 485 प्रतिशत तक की उच्च दरों पर क्रय को नियंत्रित नहीं किया जा सका परिणामतः ₹ 27.67 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। मंडल-वार अतिरिक्त व्यय नीचे दिया गया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मंडल</th> <th>इकाई का नाम</th> <th>धनराशि (₹ लाख में)</th> <th>दर भिन्नता</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लखनऊ</td> <td>बीसीयू-I एवं II, लखनऊ</td> <td>2.46</td> <td>1 से 393 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>गाजियाबाद</td> <td>बीसीयू, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ</td> <td>8.32</td> <td>7 से 368 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>कानपुर</td> <td>बीसीयू, कानपुर, उरई एवं झाँसी</td> <td>3.35</td> <td>1 से 484 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>इलाहाबाद</td> <td>बीसीयू, इलाहाबाद एवं बांदा</td> <td>2.94</td> <td>6 से 484 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>आगरा</td> <td>बीसीयू, आगरा</td> <td>4.30</td> <td>22 से 128 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>गोरखपुर</td> <td>बीसीयू, गोरखपुर</td> <td>1.21</td> <td>3 से 371 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>बस्ती</td> <td>बीसीयू, बस्ती</td> <td>2.89</td> <td>1 से 485 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>वाराणसी</td> <td>बीसीयू-I, वाराणसी</td> <td>2.20</td> <td>3 से 350 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>27.67</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2015) कि क्रय, इकाइयों की क्रय समितियों द्वारा न्यूनतम बाजार मूल्यों पर किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रचलित बाजार दरों के आँकड़ों के अभाव में इकाइयों द्वारा प्रस्तावित दरों के औचित्य का निर्धारण नहीं किया जा सका।</p>	मंडल	इकाई का नाम	धनराशि (₹ लाख में)	दर भिन्नता	लखनऊ	बीसीयू-I एवं II, लखनऊ	2.46	1 से 393 प्रतिशत	गाजियाबाद	बीसीयू, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ	8.32	7 से 368 प्रतिशत	कानपुर	बीसीयू, कानपुर, उरई एवं झाँसी	3.35	1 से 484 प्रतिशत	इलाहाबाद	बीसीयू, इलाहाबाद एवं बांदा	2.94	6 से 484 प्रतिशत	आगरा	बीसीयू, आगरा	4.30	22 से 128 प्रतिशत	गोरखपुर	बीसीयू, गोरखपुर	1.21	3 से 371 प्रतिशत	बस्ती	बीसीयू, बस्ती	2.89	1 से 485 प्रतिशत	वाराणसी	बीसीयू-I, वाराणसी	2.20	3 से 350 प्रतिशत	योग		27.67		27.67																						
मंडल	इकाई का नाम	धनराशि (₹ लाख में)	दर भिन्नता																																																													
लखनऊ	बीसीयू-I एवं II, लखनऊ	2.46	1 से 393 प्रतिशत																																																													
गाजियाबाद	बीसीयू, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ	8.32	7 से 368 प्रतिशत																																																													
कानपुर	बीसीयू, कानपुर, उरई एवं झाँसी	3.35	1 से 484 प्रतिशत																																																													
इलाहाबाद	बीसीयू, इलाहाबाद एवं बांदा	2.94	6 से 484 प्रतिशत																																																													
आगरा	बीसीयू, आगरा	4.30	22 से 128 प्रतिशत																																																													
गोरखपुर	बीसीयू, गोरखपुर	1.21	3 से 371 प्रतिशत																																																													
बस्ती	बीसीयू, बस्ती	2.89	1 से 485 प्रतिशत																																																													
वाराणसी	बीसीयू-I, वाराणसी	2.20	3 से 350 प्रतिशत																																																													
योग		27.67																																																														
4.	<p>पूर्ण सेतुओं को हस्तांतरित करने में लिया गया समय सेतुओं को पूर्ण किये जाने के पश्चात कम्पनी द्वारा इन्हें हस्तान्तरित करने हेतु तत्काल यूपीपीडब्ल्यूडी को प्रतिवेदित किया जाना चाहिये ताकि इसे जन उपयोग हेतु रखा जा सके तथा यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा अनुरक्षित किया जा सके। कम्पनी द्वारा इकाइयों की गतिविधियों के अनुश्रवण की कमी तथा यूपीपीडब्ल्यूडी के साथ समन्वय में विफलता के कारण इकाइयों द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान पूर्ण किये गये 67 सेतुओं में से 37 सेतुओं को यूपीपीडब्ल्यूडी को एक से 71 माह के विलम्ब के पश्चात हस्तांतरित किया गया। हालांकि, 30 सेतुओं को मार्च 2015 को एक से 54 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी हस्तांतरित नहीं किया जा सका जिसके लिए कोई कारण अभिलेखित नहीं था। पूर्ण सेतुओं को हस्तांतरित करने की मंडल-वार स्थिति नीचे दी गयी है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">मंडल</th> <th rowspan="2">इकाइयों</th> <th rowspan="2">हस्तांतरित किये गये सेतु</th> <th rowspan="2">हस्तांतरित नहीं किये गये सेतु</th> <th colspan="2">हस्तांतरण में विलम्ब (माह में)</th> </tr> <tr> <th>हस्तांतरित</th> <th>हस्तांतरित नहीं</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>लखनऊ</td> <td>बीसीयू-I एवं II लखनऊ</td> <td>13</td> <td>3</td> <td>1-71</td> <td>1-10</td> </tr> <tr> <td>गाजियाबाद</td> <td>बीसीयू नोएडा, गाजियाबाद एवं मेरठ</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>1-14</td> <td>8-40</td> </tr> <tr> <td>कानपुर</td> <td>बीसीयू कानपुर एवं झाँसी</td> <td>2</td> <td>6</td> <td>18-46</td> <td>13-54</td> </tr> <tr> <td>इलाहाबाद</td> <td>बीसीयू इलाहाबाद एवं बांदा</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>9-26</td> <td>13-52</td> </tr> <tr> <td>आगरा</td> <td>बीसीयू आगरा</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>6-54</td> </tr> <tr> <td>गोरखपुर</td> <td>बीसीयू गोरखपुर</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>3-9</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>बस्ती</td> <td>बीसीयू बस्ती</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>19-48</td> <td>5-23</td> </tr> <tr> <td>वाराणसी</td> <td>बीसीयू वाराणसी-I</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>54</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>योग</td> <td></td> <td>37</td> <td>30</td> <td>1-71</td> <td>1-54</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रबन्धन ने स्वीकार किया (सितम्बर 2015) कि पूर्ण सेतुओं को विलम्ब से हस्तांतरित किया गया तथा आश्वस्त किया कि सेतुओं को पूर्ण किये जाने के पश्चात तत्काल हस्तांतरित किया जायेगा।</p>	मंडल	इकाइयों	हस्तांतरित किये गये सेतु	हस्तांतरित नहीं किये गये सेतु	हस्तांतरण में विलम्ब (माह में)		हस्तांतरित	हस्तांतरित नहीं	लखनऊ	बीसीयू-I एवं II लखनऊ	13	3	1-71	1-10	गाजियाबाद	बीसीयू नोएडा, गाजियाबाद एवं मेरठ	11	10	1-14	8-40	कानपुर	बीसीयू कानपुर एवं झाँसी	2	6	18-46	13-54	इलाहाबाद	बीसीयू इलाहाबाद एवं बांदा	3	4	9-26	13-52	आगरा	बीसीयू आगरा	-	5	-	6-54	गोरखपुर	बीसीयू गोरखपुर	4	-	3-9	-	बस्ती	बीसीयू बस्ती	3	2	19-48	5-23	वाराणसी	बीसीयू वाराणसी-I	1	-	54	-	योग		37	30	1-71	1-54	
मंडल	इकाइयों					हस्तांतरित किये गये सेतु	हस्तांतरित नहीं किये गये सेतु	हस्तांतरण में विलम्ब (माह में)																																																								
		हस्तांतरित	हस्तांतरित नहीं																																																													
लखनऊ	बीसीयू-I एवं II लखनऊ	13	3	1-71	1-10																																																											
गाजियाबाद	बीसीयू नोएडा, गाजियाबाद एवं मेरठ	11	10	1-14	8-40																																																											
कानपुर	बीसीयू कानपुर एवं झाँसी	2	6	18-46	13-54																																																											
इलाहाबाद	बीसीयू इलाहाबाद एवं बांदा	3	4	9-26	13-52																																																											
आगरा	बीसीयू आगरा	-	5	-	6-54																																																											
गोरखपुर	बीसीयू गोरखपुर	4	-	3-9	-																																																											
बस्ती	बीसीयू बस्ती	3	2	19-48	5-23																																																											
वाराणसी	बीसीयू वाराणसी-I	1	-	54	-																																																											
योग		37	30	1-71	1-54																																																											

स्रोत: इकाइयों द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.3.1
(प्रस्तर 2.3.8 में सन्दर्भित)

उपराविडनिलि की नई परियोजनाओं के सम्बन्ध में समय एवं लागत वृद्धि को प्रदर्शित करने वाला विवरण

परियोजना का नाम	यूनिट सं०	क्षमता (मे.वा.)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि/माह	विलम्ब (माह में)	मूल लागत (₹ करोड़ में)	संशोधित लागत (₹ करोड़ में)	लागत-आधिक्य (₹ करोड़ में)
पारीछा विस्तार	5	250	जुलाई 2010	जुलाई 2012	24	1969.18	2822.82	853.64
	6	250	दिसम्बर 2010	अप्रैल 2013	28			
अनपरा 'डी'	6	500	अप्रैल 2011	प्रारम्भ होनी है	48 माह से अधिक	5358.79	7027.40	1668.61
	7	500	जुलाई 2011	प्रारम्भ होनी है	48 माह से अधिक			
योग						7327.97	9850.22	2522.25

स्रोत: उपराविडनिलि द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.3.2
(प्रस्तर 2.3.20 में सन्दर्भित)

उपराविडनिलि के विभिन्न उत्पादन गृहों के पीएलएफ को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

टीपीएस के नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक
अनपरा 'ए'	80	76.55	80	78.43	80	60.48	80	67.69	85	78.17
अनपरा 'बी'	80	88.66	80	83.39	80	78.49	80	88.15	85	71.61
ओबरा 'ए'	56	39.26	58	25.25	61	21.50	65	21.74	65	19.50
ओबरा 'बी'	66	38.69	68	43.62	71	39.81	75	38.92	75	35.33
पारीछा 'ए'	61	41.61	63	26.34	66	21.46	70	26.88	70	19.58
पारीछा 'बी'	80	68.45	80	65.78	80	69.81	80	68.97	85	67.46
पारीछा विस्तार	—	—	—	—	85	78.66	85	80.00	85	79.35
पनकी	61	56.08	62	53.17	63	47.79	65	39.61	65	53.38

स्रोत: यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियमन 2014, बहुवर्षीय टैरिफ एवं उपराविडनिलि द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.3.3
(प्रस्तर 2.3.22 में सन्दर्भित)

उपराविडनिलि के टीपीएस में ऑकजीलरी खपत को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

परियोजना का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक
अनपरा 'ए'	8.50	10.06	8.50	9.91	8.50	10.81	8.50	10.27	8.50	10.16
अनपरा 'बी'	7.00	7.51	7.00	7.42	7.00	8.14	7.00	7.64	5.25	7.62
ओबरा 'ए'	10.80	15.18	10.60	16.24	10.20	16.71	10.00	11.98	10.00	15.91
ओबरा 'बी'	10.30	12.85	10.10	10.61	9.90	9.93	9.70	10.13	9.70	10.62
पनकी	10.80	13.67	10.60	12.24	10.20	13.68	9.80	13.75	9.80	13.17
पारीछा 'ए'	11.30	17.96	11.10	21.71	10.90	20.19	10.70	17.12	10.70	18.05
पारीछा 'बी'	9.00	10.95	9.00	10.52	9.00	9.20	9.00	10.94	8.50	11.55
पारीछा विस्तार	9.00	—	9.00	—	9.00	—	9.00	9.90	8.50	8.81

स्रोत: यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्तें) विनियम 2014, बहुवर्षीय टैरिफ एवं उपराविडनिलि द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.3.4
(प्रस्तर 2.3.28 में सन्दर्भित)

उप्रजविनिलि के एचपीएस में ऑकजीलरी खपत को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(प्रतिशत में)

परियोजना का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक	यूपीईआरसी का मानदण्ड	वास्तविक
5 मे.वा. से अधिक क्षमता										
रिहन्द	0.70 / 1	0.56	0.70 / 1	0.25	0.70 / 1	0.16	0.70 / 1	0.26	0.70 / 1	0.24
ओबरा (एच)	0.70	0.21	0.70	0.14	0.70	0.13	0.70	0.10	0.70	0.07
माताटीला	0.70	0.44	0.70	0.29	0.70	0.34	0.70	0.36	0.70	0.49
खारा	1.00	1.12	1.00	0.86	1.00	0.61	1.00	0.60	1.00	0.62
5 मे.वा. अथवा कम क्षमता										
निरगाजिनी, चितौरा एवं सलवा	0.70	0.80	0.70	1.00	0.70	0.93	0.70	0.18	0.70	1.02
भोला	0.70	2.50	0.70	1.68	0.70	3.10	0.70	1.86	0.70	1.27
उच्च गंगानहर (निरगाजिनी, चितौरा एवं सलवा)	0.70	0.93	0.70	1.08	0.70	1.22	0.70	0.41	0.70	1.05
बेलका	1.00	5.26	1.00	5.88	1.00	3.06	1.00	4.07	1.00	3.31
बबैल	1.00	2.72	1.00	3.40	1.00	2.25	1.00	2.27	1.00	2.00
पूर्वी यमुना नहर (बेलका एवं बबैल)	1.00	3.49	1.00	3.97	1.00	2.54	1.00	2.79	1.00	2.56
शीतला	0.70	1.72	0.70	1.50	0.70	2.11	0.70	3.05	0.70	2.50

स्रोत: यूपीईआरसी (उत्पादन टैरिफ की नियम एवं शर्तों) विनियम 2014, बहुवर्षीय टैरिफ एवं उप्रजविनिलि द्वारा प्रदान की गयी सूचना

रिहन्द की मशीन संख्या 1, 2 एवं 6 का मानदण्ड 0.70 प्रतिशत है।

रिहन्द की मशीन संख्या 3, 4 एवं 5 का मानदण्ड 1 प्रतिशत है।

परिशिष्ट 2.4.1
(प्रस्तर 2.4.1 में सन्दर्भित)

हितधारकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती हुई विवरणी

हितधारक का नाम	प्रमुख भूमिका
केन्द्र सरकार	<ul style="list-style-type: none"> डिस्कॉम्स के एटीएंडसी हानियों में त्वरित कमी करने के लिए तरलता सहायता हेतु प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना और राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये बॉन्ड के मूलधन के पुनर्भुगतान का 25 प्रतिशत पूँजी प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करना; स्कीम के अनुमोदन के 12 माह के भीतर मॉडल राज्य विद्युत वितरण दायित्व विधेयक को लाना
राज्य सरकार	<ul style="list-style-type: none"> एफआरपी का अनुमोदन करना और डिस्कॉम्स द्वारा जारी किये गये बॉन्ड को ग्रहण करना; डिस्कॉम्स द्वारा लिये/जारी किये गये ऋण/बॉन्ड हेतु गारंटी प्रदान करना; बॉन्ड को ग्रहण करने से पूर्व तक ब्याज और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए सहायता प्रदान करना; सरकारी विभागों के 31 मार्च 2012 तक के सभी बकाया देयों का, 30 नवम्बर 2012 से पहले भुगतान करना; 31 मार्च 2012 तक के डिस्कॉम्स की बकाया सब्सिडी को 31 मार्च 2013 से पहले अवमुक्त करना और इसके बाद की सब्सिडी को अग्रिम में अवमुक्त करना
यूपीपीसीएल/डिस्कॉम्स	<ul style="list-style-type: none"> स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभागी ऋणदाताओं (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं) के विचार-विमर्श से एफआरपी तैयार करना और इसको राज्य सरकार एवं यूपीईआरसी से अनुमोदित करवाना; बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बॉन्ड जारी करना; स्कीम में निहित बाध्यकारी और अनुशासनात्मक शर्तों का अनुपालन करना; सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को न्यूनतम करने के लिये पारेषण और वितरण (टीएंडडी) हानियों को कम करना और संग्रहण कुशलता बढ़ाना

स्रोत: वित्तीय पुनर्गठन हेतु एमओपी जीओआई द्वारा प्रतिपादित की गयी स्कीम

परिशिष्ट 2.4.2
(प्रस्तर 2.4.9 में सन्दर्भित)

निर्धारित अनुपात के अनुसार पीओएल के वित्त पोषण को दर्शाती हुई विवरणी

वर्ष	एफआरपी के अनुसार पीओएल (₹ करोड़ में)	वित्त पोषण की धनराशि (₹ करोड़ में) और वित्त पोषण पैटर्न (प्रतिशत में)	
		बैंक/एफआई	राज्य सरकार
2012-13	9899	9899.00 (100)	लागू नहीं
2013-14	7042	5281.50 (75)	1760.50 (25)
2014-15	6123	3061.50 (50)	3061.50 (50)
कुल	23064	18242	4822

स्रोत: बैंकों के संघ के कार्यवृत्त और एफआरपी

परिशिष्ट 2.4.3
(प्रस्तर 2.4.9 में सन्दर्भित)

बैंकों/एफआई से ऋण के अधिक आहरण और इस भाग पर देय ब्याज की गणना को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित परिचालन हानियाँ (पीओएल)	अनुमानित परिचालन हानियों के अधिक निर्धारण के मुख्य कारण/घटक							कुल अधिक निर्धारित पीओएल (3+4+7+8)	बैंकों/एफआई ¹ से ऋण का अधिक आहरण	ऋण के अधिक आहरण पर ब्याज की देनदारी
		व्यय का अधिक समावेश	आय का न/कम शामिल किया जाना								
			एफआरपी में शामिल करने के लिए अनुमन्य नहीं किये गये ऋणों पर ब्याज	ब्याज भुगतान के लिए जीओयूपी की सहायता को शामिल न किया जाना	पीओएल में शामिल की गयी राजस्व सब्सिडी	पीओएल में शामिल होने के लिए राजस्व सब्सिडी	राजस्व सब्सिडी सहायता को कम शामिल करना (6-5)	परिचालन हानि के लिए जीओयूपी की सहायता को शामिल न किया जाना			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2012-13	9899	237.90	1149	4875	7860	2985	0	4134.00	4371.90	4371.90	--
2013-14	7042	900.15	0	4961	8427	3466	535.17 ²	4001.17	4901.32	3675.99	535.56 ³
2014-15	6123	1611.41	0	5417	8427	3010	500.53 ⁴	3510.53	5121.94	2599.47 ⁵	985.87 ⁶
	23064	2749.46	1149	15253	24714	9461	1035.70	11645.70	14395.16	10647.36	1521.43

स्रोत: एफआरपी और कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना

¹ बैंकों/एफआई से परिचालन हानियों के वित्तपोषण के लिये आहरित ऋण की गणना आगणित हासमान पैमाने के आधार पर की गयी है। अर्थात् (2012-13 = 100 प्रतिशत, 2013-14 = 75 प्रतिशत एवं 2014-15 = 50 प्रतिशत)

² एफआरपी के अनुसार अनुमानित परिचालन हानि के लिए जीओयूपी द्वारा सहायता क्रमशः 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान शून्य, 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थी। 2013-14 के लिए जीओयूपी सहायता की गणना इस प्रकार की गयी = [₹ 7042 करोड़- (₹ 900.15 करोड़+ ₹ 3466 करोड़)] X 1/5 = ₹ 535.17 करोड़।

³ अतिरिक्त ऋण पर ब्याज (जो कि 2012-13 के लिए था) जिसका आहरण 2013-14 में किया गया था = ₹ 4371.90 करोड़ X 12.25 प्रतिशत = ₹ 535.56 करोड़

⁴ 2014-15 के लिए अनुमानित परिचालन हानियों के लिए जीओयूपी सहायता की गणना = [₹ 6123 करोड़- (₹ 1611.41 करोड़+ ₹ 3010 करोड़)] X 1/3 = ₹ 500.53 करोड़.

⁵ कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में बैंकों/एफआई से अनुमानित परिचालन हानियों के लिए सहायता आवंटित धनराशि से ₹ 38.50 करोड़ का अधिक आहरण किया गया। इसलिए, अतिरिक्त आहरण = (₹ 5121.94 करोड़ X 50 प्रतिशत) + ₹ 38.50 करोड़ = ₹ 2599.47 करोड़ था।

⁶ अतिरिक्त ऋण पर ब्याज (जो कि : 2012-13 एवं 2013-14 से संबंधित था) जिसका आहरण 2014-15 में किया गया = (₹ 4371.90 करोड़ + ₹ 3675.99 करोड़) X 12.25 प्रतिशत = ₹ 985.87 करोड़

परिशिष्ट 2.4.4
(प्रस्तर 2.4.14 में सन्दर्भित)

लेखों के अन्तिमीकरण में हुए विलम्ब को दर्शाती हुई विवरणी

डिस्कॉम्स के नाम	2010-11			2011-12		
	अंतिम रूप दिये जाने की तिथि	लक्षित तिथि	विलम्ब (माह में)	अंतिम रूप दिये जाने की तिथि	लक्षित तिथि	विलम्ब (माह में)
पूर्विविनिलि	08-03-2013	30-11-2012	3	23-05-2013	31-01-2013	3
मविविनिलि	05-03-2013	30-11-2012	3	20-05-2013	31-01-2013	3
पविविनिलि	04-03-2013	30-11-2012	3	14-05-2013	31-01-2013	3
दविविनिलि	07-03-2013	30-11-2012	3	16-05-2013	31-01-2013	3
केस्को	01-02-2013	30-11-2012	2	30-03-2013	31-01-2013	2

स्रोत: संप्रोक्षित वार्षिक लेखे

परिशिष्ट 2.4.5
(प्रस्तर 2.4.16 में सन्दर्भित)

मीटर्ड और अनमीटर्ड सरकारी और अन्य उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	डिस्कॉम्स के नाम	सरकारी उपभोक्ता				अन्य उपभोक्ता					
		श्रेणी	मीटर्ड उपभोक्ता		अनमीटर्ड उपभोक्ता		श्रेणी	मीटर्ड उपभोक्ता		अनमीटर्ड उपभोक्ता	
			31.03.2012 तक	31.03.2015 तक	31.03.2012 तक	31.03.2015 तक		31.03.2012 तक	31.03.2015 तक	31.03.2012 तक	31.03.2015 तक
			संख्या	संख्या	संख्या	संख्या		संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
1	दविविनिलि	एलएमवी-3	80	245	1197	1164	एलएमवी-1	1217081	1887109	615188	696630
एलएमवी -7		2735	6212	0	0	एलएमवी -2	173516	206616	3556	3855	
एलएमवी -8		1541	2317	4709	4093	एलएमवी -5	63840	72942	117779	132076	
	उप योग (ए)		4356	8774	5906	5257		1454437	2166667	736523	832561
2	मविविनिलि	एलएमवी -3	150	142	5852	3057	एलएमवी-1	1710205	2242692	831834	1208758
एलएमवी -7		1669	1815	0	0	एलएमवी -2	240395	267774	21412	26165	
एलएमवी -8		1059	458	8138	9247	एलएमवी -5	6925	7963	126701	132748	
	उप योग (बी)		2878	2415	13990	12304		1957525	2518429	979947	1367671
3	पूविविनिलि	एलएमवी -3	68	70	703	1289	एलएमवी-1	1143824	1485275	1606791	2333334
एलएमवी -7		2543	2741	0	0	एलएमवी -2	232875	282117	59308	75913	
एलएमवी -8		7	112	10416	10985	एलएमवी -5	5124	5751	173949	213080	
	उप योग (सी)		2618	2923	11119	12274		1381823	1773143	1840048	2622327
4	पविविनिलि	एलएमवी -3	334	455	422	1072	एलएमवी-1	1763518	2021538	1054591	1432788
एलएमवी -7		2490	2895	0	0	एलएमवी -2	327328	352880	3896	5045	
एलएमवी -8		161	308	4602	4755	एलएमवी -5	4147	7322	347123	378784	
	उप योग (डी)		2985	3658	5024	5827		2094993	2381740	1405610	1816617
5	केस्को	एलएमवी -3	0	0	18	18	एलएमवी-1	461805	438484	0	0
एलएमवी -7		634	526	0	0	एलएमवी -2	94283	73262	0	0	
एलएमवी -8		0	0	0	0	एलएमवी -5	0	0	0	0	
	उप योग (ई)		634	526	18	18		556088	511746	0	0
	महायोग (ए+बी+सी+डी+ई)		13471	18296	36057	35680		7444866	9351725	4962128	6639176

स्रोत: वार्षिक विवरण

परिशिष्ट 2.4.6
(प्रस्तर 2.4.21 में सन्दर्भित)

एटीएण्डसी हानियों और एसीएस-एआरआर के अंतर की सारांकित स्थिति को दर्शाती विवरणी

विवरण	पूर्वविविनिलि	मविविनिलि	पविविनिलि	दविविनिलि	केस्को
मानक वर्ष 2010-11 के अनुसार एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत में)	58.36	47.87	42.41	45.23	50.64
2012-13 में एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत में)	57.22	47.55	39.36	46.03	45.36
2013-14 में एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत में)	49.71	40.52	34.94	41.17	47.20
मानक वर्ष 2010-11 के अनुसार एसीएस-एआरआर का अंतर (₹ प्रति केडब्ल्यूएच में)	1.95	1.41	0.81	1.86	1.28
2012-13 में अनुसार एसीएस-एआरआर अंतर (₹ प्रति केडब्ल्यूएच में)	3.07	2.95	1.88	3.75	2.75
2013-14 में अनुसार एसीएस-एआरआर का अंतर (₹ प्रति केडब्ल्यूएच में)	4.22	4.05	2.52	4.34	2.99

स्रोत: डिस्कॉम्स के संप्रोक्षित वार्षिक लेखे एवं वाणिज्यिक विवरण

परिशिष्ट 2.4.7
(प्रस्तर 2.4.21 में सन्दर्भित)

डिस्कॉम्स की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों¹ की गणना को दर्शाती विवरणी

विवरण	पूर्विविनिलि				मविविनिलि				पविविनिलि			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के आरम्भ में शेष (₹ करोड़ में)	5782.94	6984.25	8197.65	9657.98	2249.98	2990.52	3767.17	4780.17	2770.81	3368.84	3977.37	4512.30
वर्ष के दौरान निर्धारण (₹ करोड़ में)	3285.41	3506.29	4190.84	5204.30	2974.36	3178.11	3691.84	4658.75	5856.43	6549.36	7656.54	9469.43
वर्ष के दौरान वसूली (₹ करोड़ में)	1927.44	2169.60	2543.68	3775.92	2261.28	2508.98	2717.55	4004.83	4853.10	5006.32	6816.60	8698.04
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	6984.25	8197.65	9657.98	9351.91	2990.52	3767.17	4780.17	4153.76	3368.84	3977.37	4512.30	4559.68
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	58.67	61.88	60.70	72.55	76.03	78.95	73.61	85.96	82.87	76.44	89.03	91.85

विवरण	पूर्विविनिलि				मविविनिलि				पविविनिलि			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
खरीदी गयी कुल यूनिट्स (एमयू)	14710.82	16620.47	16912.96	18383.34	11490.81	13269.06	13867.59	15477.45	20619.56	23970.81	24971.73	26169.33
पारेषण हानि (एमयू)	699.13	916.74	879.25	1454.43	546.1	731.89	720.93	1224.52	979.95	1322.17	1298.2	2070.43
पारेषण हानि (प्रतिशत)	4.75	5.52	5.2	7.91	4.75	5.52	5.2	7.91	4.75	5.52	5.2	7.91
डिस्कॉम्स द्वारा बेची गयी यूनिट्स (एमयू)	10442.18	11589.73	11919.92	12742.52	7878.3	9232.56	9880.78	10710.7	14329.77	16024.72	17007.34	18536.64
टीएण्डसी हानि (प्रतिशत)	29.02	30.27	29.52	30.68	31.44	30.42	28.75	30.8	30.5	33.15	31.89	29.17
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	58.67	61.88	60.70	72.55	76.03	78.95	73.61	85.96	82.87	76.44	89.03	91.85
एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत)	58.36	56.85	57.22	49.71	47.87	45.07	47.55	40.52	42.41	48.9	39.36	34.94
मानक वर्ष 2010-11 के सापेक्ष एटीएण्डसी हानियों में कमी (प्रतिशत)	लागू नहीं	लागू नहीं	1.14	8.65	लागू नहीं	लागू नहीं	0.32	7.35	लागू नहीं	लागू नहीं	3.05	7.47
एटीएण्डसी हानियों में कमी के सापेक्ष एलएस ² हेतु पात्रता (प्रतिशत)	लागू नहीं	लागू नहीं	0	5.65	लागू नहीं	लागू नहीं	0	4.35	लागू नहीं	लागू नहीं	0	4.47
एआरआर (₹ प्रति केडब्ल्यूएच में)	3.08	2.95	3.41	3.89	3.18	3.45	3.7	4.20	4	4.01	4.32	4.82
तरलता सहायता की राशि (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	0	404.04	लागू नहीं	लागू नहीं	0	282.77	लागू नहीं	लागू नहीं	0	563.83

स्रोत: संग्रेक्षित वार्षिक लेखे

(क्रमशः)

¹ {1-(बिलिंग दक्षता x संग्रहण दक्षता)}x100

² 30 प्रतिशत से ऊपर एटीएण्डसी हानियों के मामले में तीन प्रतिशत से ज्यादा एटीएण्डसी हानियों में कमी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन के रूप में तरलता सहायता हेतु पात्रता थी।

विवरण	दविविनिलि				केस्को			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के आरम्भ में शेष (₹ करोड़ में)	3505.56	4318.51	4859.08	5848.48	1894.81	2051.50	2098.66	2202.16
वर्ष के दौरान निर्धारण (₹ करोड़ में)	3155.17	3502.14	4028.81	4922.17	911.65	999.16	1172.93	1632.37
वर्ष के दौरान वसूली (₹ करोड़ में)	2292.73	2662.14	3160.26	4409.31	753.46	904.22	985.62	1353.30
वर्ष की समाप्ति पर अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	4318.51	4859.08	5848.48	6339.19	2051.50	2098.66	2202.16	2279.18
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	72.67	76.01	78.44	89.58	82.65	90.50	84.03	82.90

विवरण	दविविनिलि				केस्को			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
खरीदी गयी कुल यूनिट्स (एमयू)	15009.77	16988.65	18281.54	20020.59	3086.71	3269.28	3312.26	3859.76
पारेषण हानि (एमयू)	713.34	937.05	950.4	1583.96	146.7	180.33	172.19	305.37
पारेषण हानि (प्रतिशत)	4.75	5.52	5.2	7.91	4.75	5.52	5.2	7.91
डिस्कॉम्स द्वारा बेची गयी यूनिट्स (एमयू)	11313.59	11334.95	12577.41	13148.05	1843.47	2070.72	2153.76	2458.09
टीएण्डडी हानि (प्रतिशत)	24.63	33.28	31.2	34.33	40.28	36.66	34.98	36.31
संग्रहण दक्षता (प्रतिशत)	72.67	76.01	78.44	89.58	82.65	90.50	84.03	82.90
एटीएण्डसी हानियाँ (प्रतिशत)	45.23	49.29	46.03	41.17	50.64	42.68	45.36	47.2
मानक वर्ष 2010-11 के सापेक्ष एटीएण्डसी हानियों में कमी (प्रतिशत)	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.8	4.06	लागू नहीं	लागू नहीं	5.28	3.44
एटीएण्डसी हानियों में कमी के सापेक्ष एलएस ¹ हेतु पात्रता (प्रतिशत)	लागू नहीं	लागू नहीं	0	1.06	लागू नहीं	लागू नहीं	2.28	0.44
एआरआर (₹ प्रति केडब्ल्यूएच में)	2.76	3.05	3.13	3.68	4.85	4.73	5.22	6.24
तरलता सहायता की राशि (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	0	78.10	0	लागू नहीं	39.42	10.60

स्रोत: संग्रहित वार्षिक लेखे

¹ 30 प्रतिशत से ऊपर एटीएण्डसी हानियों के मामले में तीन प्रतिशत से ज्यादा एटीएण्डसी हानियों में कमी के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन के रूप में तरलता सहायता हेतु पात्रता थी।

परिशिष्ट 2.4.8
(प्रस्तर 2.4.12 और 2.4.21 में सन्दर्भित)

औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व वसूली (एआरआर) की गणना और एसीएस और एआरआर के मध्य अन्तर की स्थिति को दर्शाती विवरणी

विवरण	पूर्विविनिलि				मविविनिलि				पविविनिलि			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विद्युत क्रय लागत (₹ करोड़ में)	4394.07	6133.88	6067.16	8194.89	3432.26	4897.02	4974.7	6991.98	6158.98	8846.56	8958.06	11879.66
ओएण्डएम और अन्य खर्च (₹ करोड़ में)	575.05	583.35	703.71	657.47	535.03	623.37	809.07	718.95	378.12	434.04	686.04	520.30
ह्रास (₹ करोड़ में)	108.64	121.5	131.55	212.99	108.53	120.54	113.43	129.82	189.04	117.2	116.34	137.33
ब्याज और वित्त व्यय (₹ करोड़ में)	178.27	157.86	816.02	1268.29	160.46	140.67	674.33	994.05	166.64	180.59	784.22	1061.51
कुल	5256.03	6996.59	7718	10334	4236	5782	6572	8835	6893	9578	10545	13599
बिक्री (एमयू)	10442.18	11589.73	11919.92	12742.52	9232.56	9232.56	9880.78	10710.7	14329.77	16024.72	17007.34	18536.64
एसीएस (₹/केडब्ल्यूएच)	5.03	6.04	6.48	8.11	4.59	6.26	6.65	8.25	4.81	5.98	6.2	7.34
राजस्व (₹ करोड़ में)	3216.68	3422.01	4064.51	4960.65	2935.71	3186.97	3660.55	4495.74	5737.43	6423.64	7352.87	8926.72
बिक्री (एमयू)	10442.18	11589.73	11919.917	12742.52	9232.56	9232.56	9880.78	10710.7	14329.77	16024.72	17007.34	18536.64
एआरआर (₹/केडब्ल्यूएच)	3.08	2.95	3.41	3.89	3.18	3.45	3.7	4.2	4	4.01	4.32	4.82
एसीएस और एआरआर के मध्य अन्तर (₹/केडब्ल्यूएच)	1.95	3.09	3.07	4.22	1.41	2.81	2.95	4.05	0.81	1.97	1.88	2.52
2010-11 के सापेक्ष हानि में वृद्धि (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	1615	3334	लागू नहीं	लागू नहीं	1610	3038	लागू नहीं	लागू नहीं	2036	3517
2010-11 के सापेक्ष अन्तर में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	57.44	116.41	लागू नहीं	लागू नहीं	109.22	187.23	लागू नहीं	लागू नहीं	132.1	211.11
2011-12 के सापेक्ष अन्तर में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	-0.65	36.57	लागू नहीं	लागू नहीं	4.98	44.13	लागू नहीं	लागू नहीं	-4.57	27.92

स्रोत: संप्रोक्षित वार्षिक लेखे

(क्रमशः)

विवरण	दविविनिलि				केस्को			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
विद्युत क्रय लागत (₹ करोड़ में)	4483.36	6269.76	6558.1	8228.91	921.99	1206.54	1188.2	1738.14
ओएण्डएम और अन्य खर्च (₹ करोड़ में)	447.44	420.46	547.43	581.15	151.12	172.96	317.00	209.29
ह्रास (₹ करोड़ में)	127.67	150.27	165.42	175.68	17.29	16.12	17.26	17.76
ब्याज और वित्त व्यय (₹ करोड़ में)	169.04	162.52	1386.8	1559.37	39.58	11.22	194.79	302.44
कुल	5,228	7,003	8,658	10,545	1,129.98	1,129.98	1,717	2,268
बिक्री (एमयू)	11313.60	11334.95	12577.41	13148.05	1843.47	2070.72	2153.76	2458.09
एसीएस (₹/केडब्ल्यूएच)	4.62	6.18	6.88	8.02	6.13	5.46	7.97	9.23
राजस्व (₹ करोड़ में)	3117.07	3458.56	3932.46	4843.72	893.3	978.66	1123.76	1534.12
बिक्री (एमयू)	11313.60	11334.95	12577.41	13148.05	1843.47	2070.72	2153.76	2458.09
एआरआर (₹/केडब्ल्यूएच)	2.76	3.05	3.13	3.68	4.85	4.73	5.22	6.24
एसीएस और एआरआर के मध्य अन्तर (₹/केडब्ल्यूएच)	1.86	3.13	3.75	4.34	1.28	0.73	2.75	2.99
2010-11 के सापेक्ष हानि में वृद्धि (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	2615	3591	लागू नहीं	लागू नहीं	357	497
2010-11 के सापेक्ष अन्तर में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	101.61	133.33	लागू नहीं	लागू नहीं	114.84	133.59
2011-12 के सापेक्ष अन्तर में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	लागू नहीं	लागू नहीं	19.81	38.66	लागू नहीं	लागू नहीं	276.71	309.59

स्रोत: संप्रेशित वार्षिक लेखे

परिशिष्ट 2.4.9
(प्रस्तर 2.4.23 में सन्दर्भित)
एफआरपी के प्रभाव को दर्शाती विवरणी

विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)		प्रभाव (+/-प्रतिशत)
	31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार	
संचित हानियाँ	33600	60101.98	+ 78.87
एफआरपी में शामिल किये हुए अल्प अवधि के ऋण (एसटीएलएन)	16126.56	34081.44	+ 111.34
कुल विद्युत क्रय दायित्व (पीपीएल)	19324.31	16297.09	- 15.67
सरकारी विभागों के देय	1443.36	2280.83	+ 58.02
बकाया राजस्व सब्सिडी	10445.29	17052.73	+ 63.26

स्रोत: संग्रेक्षित वार्षिक लेखे

परिशिष्ट 2.5.1

(प्रस्तर 2.5.14 में सन्दर्भित)

अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2014 के दौरान घरेलू बत्ती, पंखा और पॉवर उपभोक्ताओं की प्रोविजनल बिलिंग के प्रकरण में राजस्व के अल्प निर्धारण को दर्शाती विवरणी

(धनराशि ₹ में)

खण्ड का नाम	प्रकरणों की संख्या	बिल की गयी यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	बिल की जाने वाली यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	कम बिल की गयी यूनिट (केडब्ल्यूएच में)	विद्युत प्रभार का अल्प प्रभारण	विद्युत शुल्क का अल्प निर्धारण	कुल अल्प प्रभारण
आलूमण्डी	450	27807	78588	50781	180793.65	6322.09	187115.74
दादानगर	215	13487	30760	17273	59061.05	2458.87	61519.92
दहेली सुजानपुर	2776	91063	358192	267129	812748.90	28504.34	841253.24
इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	373	22717	59240	36523	130173.90	5203.90	135377.80
गोविन्द नगर	778	72343	135088	62745	230647.25	9386.15	240033.40
गुमटी	5	509	1280	771	3181.10	159.06	3340.16
हैरिस गंज	221	17938	37120	19182	72187.65	3369.42	75557.07
जाजमऊ	89	7768	16240	8472	32260.15	1493.03	33753.18
कल्याणपुर	424	34724	78720	43996	174984.25	8471.89	183456.14
किदवई नगर	169	12182	27880	15698	60153.75	2827.51	62981.26
नौबस्ता	1737	138369	269744	131375	461274.65	19682.05	480956.70
नवाबगंज	469	44699	93503	48804	184700.40	7355.80	192056.20
फूलबाग	736	58525	133101	74576	272468.95	10032.39	282501.34
रतनपुर	90	4269	15400	11131	43757.75	1887.83	45645.58
सर्वोदय नगर	996	94324	170920	76596	271049.30	10306.55	281355.85
विकास नगर	246	17396	40400	23004	87827.35	4080.88	91908.23
वर्ल्डबैंक बर्सा	624	45784	100280	54496	194997.85	7398.42	202396.27
जरीब चौकी	482	41757	79199	37442	135174.60	5276.17	140450.77
योग	10880	745661	1725655	979994	3407442.50	134216.35	3541658.85

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.2

(प्रस्तर 2.5.15 में सन्दर्भित)

अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2014 के दौरान लघु एवं मध्यम पॉवर उपभोक्ताओं से स्थायी प्रभारों के अल्प प्रभारण को दर्शाती विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	खण्ड का नाम	प्रकरणों की संख्या	मॉग प्रभारों का अधिरोपण	स्थायी प्रभारों का अधिरोपण	अधिरोपित किये जाने वाले स्थायी प्रभार	स्थायी प्रभारों की अल्प वसूली
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7= (4+5)-6
1.	आलूमण्डी	1984	7799530.50	41092.83	8838565.00	997941.67
2.	दादानगर	15050	81766350.01	2043.00	92717560.00	10949166.99
3.	दहेली सुजानपुर	312	959571.00	460.00	1064965.00	104934.00
4.	इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	631	2023467.39	21137.00	2325525.00	280920.61
5.	गोविन्द नगर	1056	3334856.40	91273.50	3866815.00	440685.10
6.	गुमटी	5751	26303377.50	41763.00	29591675.00	3246534.50
7.	हैरिस गंज	1383	5306233.50	1342.50	6057560.00	749984.00
8.	जाजमऊ	7722	38485737.00	17915.83	44710325.00	6206672.17
9.	कल्याणपुर	315	778468.50	17388.00	898135.00	102278.50
10.	किदवई नगर	1193	4406575.50	0.00	5052910.00	646334.50
11.	नौबस्ता	833	2852834.50	54613.50	3239598.50	332150.50
12.	नवाबगंज	312	991377.00	47135.00	1183550.00	145038.00
13.	फूलबाग	1201	2718918.00	6210.00	3086285.00	361157.00
14.	रतनपुर	183	546061.50	37867.50	606637.50	22708.50
15.	सर्वोदय नगर	870	1605892.50	245816.00	2080621.00	228912.50
16.	विकास नगर	183	694147.50	5842.00	771055.00	71065.50
17.	वर्ल्डबैंक बर्रा	272	815485.50	22252.50	944600.00	106862.00
18.	जरीब चौकी	2946	11330919.00	35880.00	12973740.00	1606941.00
	योग	42197	192719802.80	690032.16	220010122.00	26600287.04

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.3

(प्रस्तर 2.5.16 में सन्दर्भित)

अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 के दौरान एकल बिन्दु पर बल्क भार प्राप्त करने वाले घरेलू बत्ती, पंखा और पॉवर उपभोक्ताओं के प्रकरण में स्थायी एवं विद्युत प्रभारों के अधिक अधिरोपण को दर्शाती विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	खण्ड का नाम	प्रकरणों की संख्या	बिल किये गये स्थायी प्रभार	बिल किये गये विद्युत प्रभार	बिल किये गये विद्युत शुल्क	बिल किये जाने वाले स्थायी प्रभार	बिल किये जाने वाले विद्युत प्रभार	बिल किये जाने वाला विद्युत शुल्क	कुल अधिक बिलिंग
1.	दहेली सुजानपुर	8	44720.00	3391.90	392.38	27520.00	3110.40	87.48	17786.40
2.	इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	19	68900.00	872248.20	21739.51	42400.00	735644.80	20690.01	164152.90
3.	गुमटी	9	29250.00	138298.00	3759.40	18000.00	116992.00	3290.40	33025.00
4.	हैरिस गंज	6	21840.00	101724.00	3045.70	13440.00	86016.00	2419.20	24734.50
5.	नौबस्ता	2	6500.00	30260.00	720.00	4000.00	25600.00	720.00	7160.00
6.	रतनपुर	5	27300.00	119574.19	2840.31	16800.00	100988.80	2840.31	29085.39
7.	विकास नगर	3	10400.00	8226.00	199.80	6400.00	7104.00	199.80	5122.00
8.	वर्ल्डबैंक बर्ग	13	42250.00	196690.00	4320.00	26000.00	166400.00	4680.00	46180.00
	योग	65	251160.00	1470412.29	37017.10	154560.00	1241856.00	34927.20	327246.19

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.4

(प्रस्तर 2.5.17 में सन्दर्भित)

30 सितम्बर 2014 को उपभोक्ताओं के परिसर पर समरूप मीटर संख्या वाले संस्थापित दर्शित मीटरों को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	विद्यमान उपभोक्ताओं की कुल संख्या	मीटर		
		समरूप मीटर	परिसरों की संख्या	विस्तार
आलूमण्डी	17391	1150	2403	2-5
दादानगर	7849	301	614	2-3
दहेली सुजानपुर	40632	8094	20729	2-10
इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	24349	3938	8911	2-7
गोविन्द नगर	48915	3296	7082	2-8
गुमटी	14271	476	1005	2-7
हैरिस गंज	33633	1931	4083	2-10
जाजमऊ	22920	2278	4845	2-6
कल्याणपुर	35021	5747	13954	2-43
किदवई नगर	28447	5065	11843	2-10
नौबस्ता	46330	8368	23935	2-102
नवाबगंज	22579	2050	4350	2-6
फूलबाग	34351	7520	18826	2-11
रतनपुर	24069	2551	5468	2-6
सर्वोदय नगर	26836	3979	9069	2-8
विकास नगर	15160	934	2045	2-9
वर्ल्डबैंक बर्ग	27405	2103	4445	2-9
जरीब चौकी	26674	1377	2872	2-5
योग	496832	61158	146479	

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.5

(प्रस्तर 2.5.18 में सन्दर्भित)

अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2014 के दौरान खण्ड वार प्रकरणों, जहाँ या तो सात दिनों से कम या सात दिनों से अधिक देय तिथि अनुमन्य की गयी थी, को दर्शाती विवरणी

खण्ड का नाम	प्रकरण जहाँ बिल की तिथि से 1 से 6 दिन अनुमन्य किये गये	प्रकरण जहाँ बिल की तिथि से 7 दिनों से अधिक अनुमन्य किये गये	
		प्रकरणों की संख्या	दिनों का विस्तार
आलूमण्डी	80	47	8-27
दादानगर	150	38	8-24
दहेली सुजानपुर	270	32	9-28
इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	522	5	8-24
गोविन्द नगर	505	56	8-23
गुमटी	188	109	8-26
हैरिस गंज	199	66	8-28
जाजमऊ	91	6	8-26
कल्याणपुर	118	56	8-28
किदवई नगर	132	128	8-27
नौबस्ता	390	39	9-27
नवाबगंज	124	42	8-26
फूलबाग	214	183	8-28
रतनपुर	367	89	8-28
सर्वोदय नगर	328	16	8-23
विकास नगर	50	4	8-25
वर्ल्डबैंक बर्सा	139	1	14
जरीब चौकी	418	73	8-27
योग	4285	990	

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.6

(प्रस्तर 2.5.19 में सन्दर्भित)

बिलिंग डाटाबैंक के अनुसार 1 किलोवाट अनुबन्धित भार वाले उपभोक्ताओं द्वारा अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2014 के दौरान ऊर्जा के अधिक मासिक उपभोग को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	खण्ड का नाम	प्रकरणों की संख्या	उपभोग का विस्तार (के.इ.ब्ल्यू.एच में)
1.	आलूमण्डी	70	722-13057
2.	दादानगर	26	758-4342
3.	दहेली सुजानपुर	397	721-10166
4.	इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	222	871-15003
5.	गोविन्द नगर	290	725-96069
6.	गुमटी	20	728-2094
7.	हैरिस गंज	89	724-1000035
8.	जाजमऊ	127	721-72476
9.	कल्याणपुर	91	730-83424
10.	किदवई नगर	93	721-12851
11.	नौबस्ता	540	721-28100
12.	नवाबगंज	113	722-13166
13.	फूलबाग	39	764-80060
14.	रतनपुर	86	723-9601
15.	सर्वोदय नगर	87	724-10065
16.	विकास नगर	118	725-7092
17.	वर्ल्डबैंक बर्सा	117	1022-7892
18.	जरीब चौकी	332	722-72187
	योग	2857	

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.5.7

(प्रस्तर 2.5.22 में सन्दर्भित)

सितम्बर 2014 को खण्ड वार बिना प्रत्याभूति जमा वाले उपभोक्ताओं की संख्या को दर्शाती विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं०	खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	जमा की गयी प्रत्याभूति धनराशि	जमा की जाने वाली प्रत्याभूति धनराशि
1	आलूमण्डी	2823	0	6392750.00
2	दादानगर	1424	0	17718250.00
3	दहेली सुजानपुर	4818	0	5442550.00
4	इलेक्ट्रिसिटी हाऊस	4834	0	11196500.00
5	गोविन्द नगर	11441	0	14170600.00
6	गुमटी	3124	0	8337950.00
7	हैरिस गंज	7939	0	10980759.00
8	जाजमऊ	3882	0	11733300.00
9	कल्याणपुर	2993	0	4179550.00
10	किदवई नगर	7065	0	10675300.00
11	नौबस्ता	5897	0	8906050.00
12	नवाबगंज	6320	0	10943200.00
13	फूलबाग	7132	0	14142400.00
14	रतनपुर	3508	0	3980100.00
15	सर्वोदय नगर	3236	0	5079050.00
16	विकास नगर	2309	0	3819650.00
17	वर्ल्डबैंक बर्सा	1342	0	3928040.00
18	जरीब चौकी	8233	0	13745740.00
	योग	88320		165371739.00

स्रोत: कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिलिंग डाटा

परिशिष्ट 2.6.1
(प्रस्तर 2.6.1 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2015 को परियोजना वार मूल स्वीकृत लागत, संशोधित स्वीकृत लागत, अवमुक्त निधियाँ एवं व्यय की गयी धनराशि के आँकड़ों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल स्वीकृत लागत	संशोधित स्वीकृत लागत	निदेशक, स्थानीय निकाय (स्टेट लेवल नोडल एजेंसी) को अवमुक्त निधियाँ	निगम द्वारा प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1.	कानपुर जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I	270.95	393.93	377.99	377.99	349.80
2.	कानपुर जल आपूर्ति परियोजना, फेज-II	377.79	475.15	475.15	475.15	367.13
3.	लखनऊ जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I, पार्ट-I	388.61	454.66	454.66	454.66	416.05
4.	लखनऊ जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I, पार्ट-II	146.57	186.89	186.89	186.89	160.24
5.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -I, फेज-I	111.02	139.79	131.16	111.02	108.91
6.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -I, फेज-II	86.10	110.51	110.51	110.51	71.06
7.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -II	209.16	268.36	156.87	155.37	141.90
8.	मेरठ जल आपूर्ति परियोजना	273.01	341.30	341.30	327.64	295.50
9.	इलाहाबाद जल आपूर्ति परियोजना, पार्ट-I	89.69	95.05	95.05	95.05	90.81
10.	इलाहाबाद जल आपूर्ति परियोजना, पार्ट-II	162.34	181.10	159.22	159.15	146.62
11.	आगरा जल आपूर्ति परियोजना	82.71	102.99	102.99	102.99	92.48
	योग	2197.95	2749.73	2591.79	2556.42	2240.50

स्रोत: निगम द्वारा प्रदान की गयी सूचना

परिशिष्ट 2.6.2
(प्रस्तर 2.6.1 में सन्दर्भित)

31 मार्च 2015 को परियोजनाओं की भौतिक प्रगति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल स्वीकृत की तिथि	संशोधित स्वीकृत की तिथि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति	पूर्ण होने में विलम्ब (माह में)
1.	कानपुर जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I	26-10-2007	30-05-2014	26-10-2010	अपूर्ण	53
2.	कानपुर जल आपूर्ति परियोजना, फेज-II	22-01-2009	28-12-2011	22-01-2011	अपूर्ण	50
3.	लखनऊ जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I, पार्ट-I	07-09-2007	07-12-2011	07-09-2010	अपूर्ण	54
4.	लखनऊ जल आपूर्ति परियोजना, फेज-I, पार्ट-II	20-02-2009	25-03-2014	20-02-2011	अपूर्ण	49
5.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -I, फेज-I	06-08-2007	05-01-2015	06-08-2010	अपूर्ण	55
6.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -I, फेज-II	30-10-2008	04-03-2014	30-10-2010	अपूर्ण	53
7.	वाराणसी जल आपूर्ति परियोजना, प्रॉयोरिटी -II	29-09-2009	30-03-2015	29-03-2012	अपूर्ण	36
8.	मेरठ जल आपूर्ति परियोजना	11-01-2008	16-12-2011	11-01-2011	अपूर्ण	50
9.	इलाहाबाद जल आपूर्ति परियोजना, पार्ट-I	06-08-2007	18-10-2014	06-08-2010	अपूर्ण	55
10.	इलाहाबाद जल आपूर्ति परियोजना, पार्ट-II	29-12-2008	15-03-2015	29-06-2011	अपूर्ण	45
11.	आगरा जल आपूर्ति परियोजना	22-02-2008	25-03-2014	22-04-2010	अपूर्ण	59

स्रोत: निगम द्वारा प्रदान की गयी सूचना